न्यायालयः–विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शाजापुर (म0प्र0)
(समक्ष :– मनोज कुमार शर्मा)

Registration No.-SC Lok/ **01 / 2018**	
Filing No.-SC Lok/ **313/ 2018**	
CNR No. MP42010004162018	
Filing Date.25-01-2018	

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन, थाना वि.पु.स्था. भोपाल (म0प्र0)

.........–अभियोजन

–:: विरूद्ध ::–

रेखा माली पति किशोर कुमार माली पिता मदनलाल माली उम्र–42 वर्ष, तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर–2 महुड़िया तहसील आगर, जिला–आगर मालवा (म0प्र0) निवासी–सत्यनारायण गली सुसनेर, तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा (म0प्र0)

...........–आरोपी

राज्य द्वारा – श्री सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक।
आरोपी द्वारा – श्री अशोक वर्मा, अधिवक्ता।

पुलिस थाना– विशेष पुलिस स्थापना भोपाल के अपराध क्रमांक–198/2016 अपराध अंतर्गत धारा–7 एवं धारा–13(1)डी सहपठित धारा–13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

//निर्णय//
(आज दिनांक–16.12.2019 को घोषित)

01– आरोपी रेखा माली के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7 एवं धारा–13(1)डी सहपठित धारा–13(2) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक–14.06.2016 तथा इसके पूर्व पटवारी हल्का नंबर–02 महुडिया तहसील व जिला आगर मालवा में लोक सेवक/पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर से कृषि भूमि के नामान्तरण के लिए 35,000/–रू. की मांग की एवं दिनांक–14.06.2016 को उक्त कार्य के लिए 30,000/–रू. की मांग की एवं दिनांक–16.06.2016 को दिन के लगभग 14:45 बजे से 15:00 बजे के मध्य तहसीलदार, तहसील आगर के कक्ष में आवेदक से 10,000/–रू. रिश्वत राशि वैध पारिश्रमिक से

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

भिन्न पारितोषण के रूप में प्राप्त कर धन संबंधी अभिलाभ प्राप्त किया और स्वयं को लाभांवित कर आपराधिक कदाचरण किया।

02– आरोपी द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक–11.09.2018 को अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी.–26 एवं दिनांक–24.09.2018 को उसके सेवा अभिलेख से संबंधित दस्तावेज क्रमशः प्रदर्श पी.–27 लगायत प्रदर्श पी.–36 को स्वीकार किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में भी आरोपी द्वारा कुछ तथ्यों को स्वीकार किया गया है। अतः आरोपी की उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तथ्य अविवादित है कि :–

(क) घटना के समय आरोपी पटवारी हल्का नंबर–02 ग्राम महुड़िया, तहसील व जिला आगर में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए लोकसेवक के रूप में कार्य कर रही थी।

(ख) विशेष पुलिस स्थापना कार्यालय भोपाल के अपराध क्रमांक–198/16 धारा–7, 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा दिनांक–21.09.2017 को आरोपी के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) आरोपी को दिनांक–16.06.2016 को 16:40 बजे तहसील कार्यालय आगर मालवा में निरीक्षक दिनेश रावत, वि.पु.स्था. उज्जैन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7, 13(1)(डी), 13(2) के अंतर्गत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.–24 बनाया गया था।

(घ) प्रकरण की विवेचना के दौरान निरीक्षक कमल निगवाल, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा दिनांक–12.07.2016 को आरोपी को प्रदर्श पी.–59 का सूचना पत्र अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु दिया गया था, जिसके आधार पर आरोपी द्वारा दिनांक–15.07.2016 को प्रदर्श पी.–60 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

(ए) आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर ने दिनांक–14.06.2016 को पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर लेखी शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता लक्ष्मणसिंह गुर्जर के नाम कुल 31 बीघा एवं उसके बडे पिताजी भगवानसिंह गुर्जर के नाम 31 बीघा कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि का नामांतरण करने के लिए वह रेखा माली, पटवारी हल्का नंबर 2 ग्राम महुडिया तहसील आगर से मिला तो उन्होने 8 बीघा कृषि भूमि उसके पिता लक्ष्मणसिंह गुर्जर के नाम एवं 23 बीघा कृषि भूमि 6 भाईयों के नाम पर तथा उसके बडे पिताजी भगवानसिंह गुर्जर के नाम 1 बीघा, भगवानसिंह गुर्जर के लडके के नाम 11 बीघा भूमि नामांतरण कर दी है। वह 6 भाईयों के नाम 23 बीघा कृषि भूमि का अलग–अलग नामांतरण करवाने के लिए वह करीब 15 दिन पहले रेखा माली पटवारी हल्का नंबर–2 ग्राम महुडिया तहसील आगर से मिला तो पटवारी ने कृषि भूमि का अलग–अलग नामांतरण करने के लिए उससे 35,000/–रूपये की रिश्वत की मांग की,

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

वह रेखा माली पटवारी को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता है, बल्कि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है, उसकी पटवारी से कोई रंजिश अथवा पैसों का लेनदेन नहीं है, अतः कार्यवाही की जावे।

(बी) उक्त शिकायत आवेदन पत्र को पुलिस अधीक्षक ने टीप अंकित कर निरीक्षक दिनेश रावत को तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु दिया, जिस पर दिनेश रावत ने शिकायत आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यक पूछताछ कर, आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की तस्दीक हेतु आवेदक को एक शासकीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, जिसमें एक नया मेमोरी कार्ड एवं सेल लगाकर चलाने का तरीका बताकर दिया एवं उसे बताया कि उसकी एवं आरोपी रेखा माली के बीच होने वाली रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत को गोपनीय रूप से इस वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे एवं वाईस रिकॉर्डर वापस कार्यालय में लाकर उसे प्रस्तुत करे। आवेदक के साथ आरक्षक संदीप कदम को भी आवश्यक समझाईश देकर रवाना किया गया। वाईस रिकॉर्डर देने का पंचनामा कार्यालय के कम्प्यूटर पर निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा बोलकर टाईप करवाया गया व कम्प्यूटर से प्रिन्ट निकलवाने के बाद पंचनामा आवेदक अर्जुन सिंह को पढ़कर सुनाया गया एवं पढ़ने के लिए दिया गया। तत्पश्चात उक्त पंचनामे पर आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर, आरक्षक संदीप कदम तथा निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये।

(सी) दिनांक–14.06.2016 को रात्रि लगभग 21:00 बजे आवेदक अर्जुनसिंह, आरक्षक संदीप कदम के साथ वापस वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन आया व उसने, निरीक्षक दिनेश रावत को बताया कि वह वाईस रिकॉर्डर लेकर आरक्षक संदीप कदम के साथ ग्राम महुडिया जाकर संदीप कदम को रेखा माली पटवारी के किराये के ऑफिस के बाहर खड़ा कर अकेला, पटवारी रेखा माली के किराये के ऑफिस में जाकर पटवारी रेखा माली से बात की तो उसने उसके 6 भाईयों के नाम 23 बीघा कृषि भूमि का अलग–अलग नामांतरण करने के लिए 30,000/– रूपये रिश्वत की राशि की मांग की, उसने पटवारी से कुछ कम करने का बोला तो वह 28,000/– रूपये लेने पर सहमत हो गई तथा उसे पैसे लेकर बुधवार को बुलाया, लेकिन आवेदक ने इतने पैसे की व्यवस्था न होने का कहकर 10,000/– रूपये लेकर दिनांक 16.06.2016 को प्रातः उपस्थित हो जाने का कहा। आवेदक ने रिकॉर्डेड वार्ता का वाईस रिकॉर्डर निरीक्षक दिनेश रावत के समक्ष प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा उक्त आशय का एक आवेदन पत्र, स्वयं का फोटो चिपकाकर, लिखकर निरीक्षक दिनेश रावत को प्रस्तुत किया। निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा वाईस रिकॉर्डर को आवेदक एवं उक्त पंचों के समक्ष एक लिफाफे में रखकर कार्यालय की सील से विधिवत सीलबंद कर हस्ताक्षर उपरांत कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा तथा आवेदक को दिनांक–16.06.2016 को प्रातः 8:00 बजे रिश्वत की राशि लेकर वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होने का बताया। पंचनामा रखने सुरक्षित शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय के कम्प्यूटर पर निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा बोले जाने पर टाईप करवाया गया। कम्प्यूटर की प्रिन्ट निकलवाने के बाद पंचनामा आवेदक अर्जुनसिंह को पढ़कर सुनाया तथा पढ़ने के लिए दिया गया। इसके बाद उक्त पंचनामे पर

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

आवेदक, प्रधान आरक्षक समीर खान, सहायक उप निरीक्षक सुरेश बुनकर तथा निरीक्षक दिनेश पटेल ने हस्ताक्षर किये।

(डी) पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–1727/पुअ/विपुस्था/2016 दिनांक 15.06.2016 अपर कलेक्टर कार्यालय जिला उज्जैन को भेजकर दो राजपत्रित विज्ञप्त अधिकारी पंचों को दिनांक–16.06.2016 को प्रातः 08:00 बजे उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया। उक्त पत्र के अनुक्रम में अपर कलेक्टर उज्जैन के आदेश क्रमांक/रीडर/अपर कले./2016/28 उज्जैन दिनांक–15.06.2016 द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा, सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग उज्जैन एवं डॉ. दिनकर सप्रे सहायक शल्य चिकित्सक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय आगर रोड उज्जैन को विज्ञप्त पंच नियुक्त किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक 1737/पुअ/विपुस्था/2016 उज्जैन दिनांक 15.06.2016 रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन उज्जैन को दो महिला आरक्षक उपलब्ध कराने बाबत पत्र भेजा गया, जिसके पालन में दिनांक 16.06.2016 को मय ड्यूटी फार्म के महिला आरक्षक क्रमांक 1654 साधना डोम एवं महिला आरक्षक क्रमांक 50 रीना शर्मा उपस्थित हुई।

(ई) दिनांक–16.06.2016 को प्रातः 08:00 बजे आवेदक अर्जुनसिंह कार्यालय वि.पु.स्था. उज्जैन में उपस्थित हुआ तथा विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा एवं डॉ. दिनकर सप्रे उपस्थित हुए। पंचों से निरीक्षक दिनेश रावत ने परिचय कर आवेदक अर्जुनसिंह से दोनों विज्ञप्त पंचों का परिचय करवाया गया। आवेदक द्वारा दिनांक–14.06.2016 को दिये गये दोनों शिकायत आवेदन पत्र विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा को दिये और जोर से पढ़कर आवेदक अर्जुनसिंह को सुनाने का कहा तो पंच अजय कुमार शर्मा ने उक्त आवेदन पत्रों को पढ़कर आवेदक को सुनाये व उसमें लिखी बातों के बारे में आवेदक से पूछा तो आवेदक ने आवेदन पत्रों में लिखी बातें सही होना बतायी, इस पर पंच अजय कुमार शर्मा ने दोनों आवेदन पत्रों पर टीप अंकित कर हस्ताक्षर किये व पंच डॉ. दिनकर सप्रे ने भी दोनों आवेदन पत्रों को पढ़ा व हस्ताक्षर किये।

(एफ) तत्पश्चात निरीक्षक दिनेश रावत ने आवेदक द्वारा दिनांक–14.06.2016 को वापस किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को पंचों व आवेदक के समक्ष कार्यालय की अलमारी में रखे सीलबंद लिफाफे से निकालकर चलाकर सुनाया गया, जिसमें टेप हुई बातचीत में आवेदक अर्जुनसिंह ने अपनी व आरोपी रेखा माली की आवाज सुनकर पहचानकर बताने पर, आवेदक की मदद से ट्रांसस्क्रिप्ट बनायी गई। तत्पश्चात वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर पर अटैच कर अशोक खत्री सहायक ग्रेड–2 से आवेदक व आरोपी के बीच रिश्वत संबंधी रिकॉर्डेड वार्तालाप की चार सी.डी. बनवायी गई, जिन्हें चलाकर आवेदक व पंचों को सुनाने के बाद चारों सी.डी. को अलग–अलग लिफाफे में रखकर, लिफाफों पर आवेदक, दोनों पंचों व निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये व सील चपड़ी से विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया। पंचनामा ट्रांसस्क्रिप्ट एवं जप्ती सी.डी. तथा मेमोरी कार्ड कार्यालय के कम्प्यूटर पर निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा बोले जाने पर अशोक खत्री से टाईप करवाया गया। अशोक खत्री व निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा सी.डी. बनाने के पृथक–पृथक प्रमाण पत्र

(सामान्य प्रशासन हेतु प्रतिलिपि (प्रमाणित) विधि उपयोग हेतु अमान्य)

अंतर्गत धारा–65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत बनाये गये।

(जी) आवेदक के आवेदन पत्रों से एवं रिकॉर्डेड वार्ता से आरोपी रेखा माली पटवारी द्वारा आवेदक अर्जुनसिंह से 28,000/–रूपये की स्पष्ट मांग पाए जाने पर निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा अपराध क्र.–00/12/16 धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का शून्य पर पंजीबद्ध किया गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को थाना वि.पु.स्था. भोपाल असल कायमी हेतु भेजा गया था, जिस पर से भोपाल में अपराध क्र.–198/16 अंतर्गत धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 दिनांक–17.06.2016 को पंजीबद्ध किया गया। शून्य एवं असल अपराध पर पंजीबद्ध एफ.आई.आर. की प्रति विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शाजापुर को प्रेषित की गई।

(एच) तत्पश्चात निरीक्षक दिनेश रावत के द्वारा आवेदक से रिश्वत में दिये जाने वाले नोट प्रस्तुत करने हेतु कहा, जिस पर आवेदक ने उसके पास से 500–500/– रूपये के 20 नोट कुल 10,000/– रूपये प्रस्तुत किये। इन नोटों को पंच अजय कुमार शर्मा को देकर नंबर बोलने का कहा गया, जिस पर पंच अजय कुमार शर्मा ने नोटों के नंबर बोले, जो प्रारंभिक ट्रेप पंचनामे में निरीक्षक दिनेश रावत के द्वारा लिखवाये गये व नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर से प्रिन्ट निकलवाकर उस पर आवेदक, दोनों पंचों तथा निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये व कम्प्यूटर पर्ची को पंच डॉ. दिनकर सप्रे को उनके पास रखने हेतु दिया गया। कार्यालय में पदस्थ आरक्षक तरूण बोडके से कार्यालय की अलमारी से फिनाल्फथैलीन पाउडर की शीशी निकलवायी गई तथा इन नोटों के दोनों ओर फिनाल्फथैलीन पाउडर की हल्की परत लगवायी गई तथा आरक्षक शिव कुमार शर्मा से आवेदक के पहने हुए कपड़ों की तलाशी करवायी गई, जिसमें कोई सामान नहीं रहने दिया गया। इसके बाद आवेदक अर्जुनसिंह की पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में फिनाल्फथैलीन पावडर लगे 10,000/–रूपये के नोट आरक्षक तरूण बोडके से रखवाये गये व निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा आवेदक को समझाया गया कि इन नोटों को आरोपी को देने से पूर्व हाथ न लगाए तथा आरोपी पटवारी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट आरोपी के हाथ में देवें व ध्यान रखे कि आरोपी उक्त नोट कहां रखती है ? आवेदक को यह भी समझाया गया कि नोट आरोपी को देने के पूर्व या बाद में आरोपी या अन्य किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाये एवं आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् अपना बांया हाथ सिर पर फिराकर ट्रेप दल को निर्धारित इशारा करे, जिससे ट्रेप दल को यह संकेत होगा कि रिश्वत की राशि आरोपी को दे दी गई है।

(आई) तत्पश्चात् आवेदक एवं विज्ञप्त पंचों को प्रदर्शन घोल की कार्यवाही समझाने के लिए प्रधान आरक्षक शिवकुमार शर्मा से दो साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल तैयार करवाया गया, जो रंगहीन था। एक कटोरे के घोल में आवेदक तथा विज्ञप्त पंचों के हाथ धुलवाये गये तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल को फेंककर नष्ट करवा दिया गया। दूसरे कटोरे के घोल में आरक्षक तरूण बोडके, जिसने कि नोटों पर फिनाल्फथैलीन पाउडर लगाया था, के हाथ धुलवाये तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस घोल को एक साफ प्लास्टिक की छोटी बॉटल में भरकर, बॉटल के ढक्कन व बॉडी पर आवेदक एवं दोनों पंचों की

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

हस्ताक्षरित चिट चिपकाकर, बॉटल के ढक्कन को सील चपड़ी से सीलबंद किया गया। निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा आवेदक एवं दोनों विज्ञप्त पंचों को बताया गया कि जब रिश्वत की राशि आरोपी हाथ में लेगा, तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी प्रकार बदलकर गुलाबी हो जाएगा।

(जे) तत्पश्चात् आरक्षक तरूण बोडके से फिनाल्फथैलीन पावडर के नमूने की दो पुड़िया एवं प्रधान आरक्षक शिव कुमार शर्मा से सोडियम कार्बोनेट पावडर के नमूने की दो पुड़िया बनवायी गई। इन चारों पुडियों को चार अलग—अलग लिफाफों में रखकर, चारों लिफाफे विधिवत् सीलबंद किये गये व एक अलग कागज पर कार्यालय की सील का नमूना लिया गया। इन लिफाफों एवं कागज पर आवेदक एवं विज्ञप्त पंचों ने हस्ताक्षर किये। आरक्षक तरूण बोडके से वह कागज जलवाकर नष्ट करवा दिया, जिस पर उसने नोटों को रखकर फिनाल्फथैलीन पाउडर लगाया था। आरक्षक तरूण बोडके से फिनाल्फथैलीन पाउडर की शीशी, पाउडर नमूने के लिफाफे, प्रदर्शन घोल की शीशी व नमूना सील, सी.डी. के लिफाफे आदि कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत के द्वारा ट्रेप दल का गठन किया, जिसमें निरीक्षक दिनेश रावत ने उनके साथ आवेदक व विज्ञप्त पंचों के अतिरिक्त कार्यालय के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, आरक्षक संदीप कदम, आरक्षक शिवकुमार शर्मा, महिला आरक्षक रीना शर्मा व साधना डोम तथा अशोक खत्री सहायक ग्रेड—2 को लेपटाप व प्रिंटर के साथ दल में शामिल किया गया। ट्रेप दल में आरक्षक तरूण बोडके जिसने नोटों पर फिनाल्फथैलीन पाउडर लगाया था, को नहीं रखा गया।

(के) तत्पश्चात् ट्रेप पर रवाना होने से पहले प्रधान आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील की बाल्टी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल बनवाया गया, घोल रंगहीन रहा। इस घोल में आवेदक तथा विज्ञप्त पंचों एवं ट्रेप दल के सभी सदस्यों के हाथ धुलवाये गये तो घोल का रंग नहीं बदला, घोल रंगहीन रहा। इसी घोल में ट्रेप बैग में ले जाये जाने वाले स्टील के कटोरे, चम्मच व प्लास्टिक की छोटी बॉटल भी धुलवायी गई, तो घोल का रंग नहीं बदला। इस घोल की आवश्यकता न होने से इसे फेंककर नष्ट करवाया गया। आवेदक व विज्ञप्त पंचों को ट्रेप बैग का निरीक्षण करवाया गया। ट्रेप बैग में फिनाल्फथैलीन पावडर की शीशी नहीं पायी गई। समस्त कार्यवाही का निरीक्षक दिनेश रावत के द्वारा आवेदक एवं विज्ञप्त पंचों के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर पर अशोक खत्री से प्रारंभिक पंचनामा टाईप करवाया गया व उक्त पंचनामे का प्रिन्ट कम्प्यूटर से निकलवाकर उसे आवेदक, दोनों विज्ञप्त पंचों को पढकर सुनाया गया तथा पढने के लिए दिया गया। सहमत होने पर आवेदक, दोनों पंचों ने तथा निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये तथा इस पंचनामे पर कार्यालय की सील का नमूना अंकित किया गया।

(एल) तत्पश्चात् दिनांक—16.06.2016 को ट्रेप दल के सदस्य दो शासकीय वाहनों से लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन से रवाना होकर लगभग 14.45 बजे आगर पहुंचे। आगर में तहसील कार्यालय के पास नगर पालिका कार्यालय के सामने निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा दोनों वाहनों को रूकवाकर

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर को आवश्यक समझाईश देकर तहसील कार्यालय आगर की ओर पैदल रवाना किया गया, उसके पीछे हाथ पकड पकडने वाली महिला आरक्षक रीना शर्मा एवं महिला आरक्षक साधना डोम तथा आरक्षक संदीप कदम को भी आवश्यक समझाईश देकर तहसील कार्यालय आगर के लिए पैदल रवाना किया गया। ट्रेपदल के सभी सदस्य एवं दोनों विज्ञप्त पंच उनके पीछे चलकर तहसील परिसर के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए तैनात हो गये। जैसे ही आरोपी के हाथ पकडने वाली दोनों महिला आरक्षकों को दौड़कर तेजी से तहसीलदार के कक्ष के अंदर जाता देखकर निरीक्षक दिनेश रावत, दोनों विज्ञप्त पंच तथा शेष ट्रेप दल के साथ तेजी से तहसीलदार के कक्ष में पहुंचा और देखा तो कुर्सी पर बैठी हुई एक महिला का कलाई के पास से महिला आरक्षक रीना शर्मा ने बांया एवं महिला आरक्षक साधना डोम ने दाहिना हाथ पकड रखा था। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत ने उस हाथ पकड़ी हुई महिला को अपना एवं विज्ञप्त पंचों तथा ट्रेप दल का परिचय दिया तथा उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम रेखा माली पति श्री किशोर माली, पिता मदनलाल माली उम्र–38 वर्ष पटवारी हल्का नंबर 2 महुडिया तहसील आगर निवासी पाल रोड मास्टर कालोनी शर्माजी का मकान, स्थायी निवास मदनलाल माली, सत्यनारायण गली सुसनेर जिला आगर का होना बताया।

(एम) तत्पश्चात् निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा आरक्षक शिवकुमार सिंह से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल बनवाया गया, घोल रंगहीन था। इस घोल में आरोपी रेखा माली पटवारी के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को एक साफ प्लास्टिक की छोटी बॉटल में भरकर बॉटल की बॉडी व ढक्कन पर घोल विवरण चिट चस्पाकर चिट पर निरीक्षक दिनेश रावत, आरोपी रेखा माली व दोनों पंचों ने हस्ताक्षर उपरांत बॉटल को विधिवत् सील चपड़ी से सीलबंद किया गया। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत ने पुनः आरक्षक शिवकुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया गया, जो रंगहीन था।इस घोल में आवेदक अर्जुनसिंह के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को भी एक साफ प्लास्टिक की छोटी बॉटल में भरकर बॉटल की बॉडी व ढक्कन पर घोल विवरण चिट चस्पाकर चिट पर निरीक्षक दिनेश रावत, आरोपी रेखा माली, आवेदक, दोनों विज्ञप्त पंचों के हस्ताक्षर उपरांत बॉटल को विधिवत् सील चपड़ी से सीलबंद किया गया। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत ने पुनः आरक्षक अर्जुनसिंह से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया, घोल रंगहीन था। इस घोल में पंच अजय कुमार शर्मा के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, घोल रंगहीन ही रहा। इस घोल को भी एक साफ प्लास्टिक की छोटी बॉटल में भरकर बॉटल की बॉडी व ढक्कन पर घोल विवरण चिट चस्पाकर चिट पर आवेदक, आरोपी रेखा माली, दोनों विज्ञप्त पंच एवं निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर कर बॉटल के ढक्कन से विधिवत सील चपड़ी से सीलबंद किया गया।

(एन) तत्पश्चात् निरीक्षक दिनेश रावत ने विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा से कहा कि वह, आरोपी रेखा माली पटवारी से पूछे कि उसने,

आवेदक अर्जुनसिंह से लिये हुए रिश्वत के रूपये कहां रखे हैं, इस पर विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा द्वारा आरोपी रेखा माली से रिश्वत की राशि के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी रेखा माली ने बताया कि उसने अर्जुनसिंह गुर्जर से 10,000/—रूपये अपने हाथ में लेकर अपने हेंडबैग में रख लिये हैं। इस पर निरीक्षक दिनेश रावत के कहने पर विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा ने आरोपी पटवारी जिस कुर्सी पर बैठी थी, उसके सामने रखी टेबल पर रखे हुए आरोपी रेखा माली के कत्थई कलर के हेण्ड बैग को खोलकर उसमें रखे हुए रूपये निकाले और गिने तो पांच—पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/— रूपये निकले। निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा पंच अजय कुमार शर्मा को रिश्वत के रूपये गिनने और नोटों के नंबर बोलने को कहा गया तो पंच शर्मा द्वारा रूपये गिने गये पांच—पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/— रूपये निकले। नोटों के नंबरों का मिलान विज्ञप्त पंच डॉ0 दिनकर सप्रे के पास लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में रखी नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर प्रिन्ट पर्ची से तथा निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा प्रारंभिक ट्रेप पंचनामे में लिखे नोटों के नंबरों से मिलान किया गया तो दोनों का मिलान सही होना पाया गया। उक्त रिश्वत के 10,000/—रूपये और पंच डॉ0 दिनकर सप्रे के पास रखी नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर प्रिन्ट पर्ची को विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा से एक अन्य लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर लिफाफे पर आवेदक, आरोपी रेखा माली, दोनों विज्ञप्त पंच एवं निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा हस्ताक्षर कर विधिवत सील चपड़ी से सीलबंद किया गया।

(ओ) तत्पश्चात् निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा पुनः आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया गया, घोल रंगहीन था। इस घोल में पंच अजय कुमार शर्मा के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया था। इस घोल को एक साफ प्लास्टिक की छोटी बॉटल में भरकर बॉटल की बॉडी व ढक्कन पर घोल विवरण चिट चस्पाकर चिट पर आवेदक, आरोपी रेखा माली, दोनों विज्ञप्त पंच एवं निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर कर बॉटल के ढक्कन से विधिवत सील चपड़ी से सीलबंद किया गया। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत ने पुनः आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल तैयार करवाया, घोल रंगहीन था। इस घोल में विज्ञप्त पंच डॉ0 दिनकर सप्रे से आरोपी रेखा माली के कत्थई कलर के हेण्ड बैग के उस स्थान को जहां से रिश्वत की राशि बरामद हुई थी, उस स्थान को उलटवाकर, बनाये गये घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को एक साफ प्लास्टिक की छोटी बॉटल में भरकर बॉटल की बॉडी व ढक्कन पर घोल विवरण चिट चस्पाकर चिट पर आवेदक, आरोपी रेखा माली, दोनों विज्ञप्त पंच एवं निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर कर बॉटल के ढक्कन से विधिवत सील चपड़ी से सीलबंद किया गया। आरोपी के कत्थई कलर के हेण्ड बैग को एक कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सुई धागे से सिलकर उस थैली पर विवरण अंकित कर आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच एवं निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर कर बॉटल के ढक्कन से विधिवत सील चपड़ी से सीलबंद किया।

(सामान्य प्रशासनिक हेतु मान्य/विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं)

(पी) उपरोक्त की गई कार्यवाही का ट्रेप एवं जप्ती पंचनामा, साथ में लाये गये लेपटॉप पर निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा बोलकर अशोक खत्री सहायक ग्रेड–2 से टाईप करवाया गया। पंचनामा पढकर सुनाया गया एवं पढने हेतु सभी को दिया गया। पंचनामा सही लेख होने से आवेदक, आरोपी रेखा माली, दोनों विज्ञप्त पंच एवं निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये व पंचनामे पर नमूना सील अंकित की गई। निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा आवेदक अर्जुनसिंह के प्रकरण से संबंधित 6 भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका आरोपी रेखा माली के द्वारा प्रस्तुत करने पर जप्त कर पंचनामा बनाया गया, इस पंचनामें पर आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये। निरीक्षण दिनेश रावत द्वारा आरोपी रेखा माली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, तत्पश्चात आरोपी की ओर से जमानतदार द्वारा 25,000/–रूपये की जमानत देने पर व इतने ही रूपये के मुचलके पर उसको छोडा गया। गिरफ्तारी पंचनामे पर आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये। आवेदक की मदद से निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा पंचों के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, जिस पर आवेदक, पंचों एवं निरीक्षक दिनेश रावत ने हस्ताक्षर किये।

(क्यू) तत्पश्चात् प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक के आदेश पृ.क्र.–1792/पुअ/विपुस्था/रीडर/2016 उज्जैन दिनांक–20.06.2016 द्वारा निरीक्षक कमल निगवाल को अधिकृत किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा समस्त घोलों एवं वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला झुमरघाट राऊ–इंदौर को पत्र क्रमांक–1769 दिनांक–17.06.2016 के द्वारा हस्ते आरक्षक तरूण बोडके एवं संदीप राव कदम के भेजा। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के पत्र क्र.–44/16 दिनांक–17.06.2016 द्वारा मुद्देमाल की जॉच रिपोर्ट धनात्मक प्राप्त हुई। आरोपी पटवारी रेखा माली की सेवा संबंधी जानकारी हेतु तहसीलदार, तहसील आगर जिला आगर मालवा को पत्र क्र.–1849/16 दिनांक–21.06.2016 को भेजा गया, जिसके अनुक्रम में कार्यालय तहसीलदार, तहसील आगर जिला आगर मालवा द्वारा दिनांक–05.09.2016 को जानकारी मय प्रमाणित छायाप्रतियों के प्राप्त हुई। आरोपी रेखा माली को सूचना पत्र क्र.–1848/16 दिनांक–21.06.2016 तथा विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा को सूचना पत्र क्र.–1847/16 दिनांक–21.06.2016, विज्ञप्त पंच दिनकर सप्रे को सूचना पत्र क्र.–1846/16 दिनांक–21.06.2016 के माध्यम से दिनांक–12.07.2016 को आरोपी तथा आवेदक की आवाज का नमूना देने हेतु वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में दोनों विज्ञप्त पंच, आवेदक तथा आरोपी रेखा माली दिनांक–12.07.2016 को उपस्थित हुए, जहां पर आरोपी ने दोनों पंचों के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने से साफ इंकार कर दिया। आरोपी रेखा माली को कार्यालय के पत्र क्र.–2064/16 दिनांक–15.07.2016 के माध्यम से अपना अभ्यावेदन एवं पक्ष रखने हेतु प्रेषित किया गया था, उक्त पत्र के अनुक्रम में आरोपी रेखा माली पटवारी द्वारा दिनांक 15.07.2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (अशासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। निरीक्षक कमल निगवाल द्वारा आवेदक, दोनों विज्ञप्त पंच, वाईस रिकॉर्डर ले जाने वाले, हाथ पकड़ने वाले, घोल बनाने वाले, हाथ पकडने वाले व पावडर लगाने वाले आदि के कथन लिपिबद्ध किये गये।

(आर) संपूर्ण विवेचना में पाया गया कि आवेदक अर्जुनसिंह के प्रकरण से संबंधित 06 भू–अभिलेख पावती में नामांतरण कराने के पदीय कर्तव्य के निर्वहन में आरोपी रेखा माली द्वारा लोक सेवक के पद का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण (रिश्वत) की मांग आवेदक से की गई व बतौर अवैध पारितोषण (रिश्वत) के रूप में आवेदक अर्जुनसिंह से दिनांक–16.06.2016 को 10,000/–रूपये की रिश्वत प्राप्त की। आरोपी रेखा माली के विरूद्ध धारा–7, 13(1)(डी) सहपठित धारा–13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्रथम दृष्टाया अपराध पाये जाने से आरोपी रेखा माली के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु उसके विभाग अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल से विधिवत् अभियोजन स्वीकृति आदेश क्रमांक–एफ 6–94/2016/सात–4बी दिनांक–01.12.2016 द्वारा प्राप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04– आरोपी रेखा माली को धारा–7 व धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध किए जाने से इंकार किया तथा विचारण चाहा। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से साक्षी अर्जुनसिंह (अ.सा.–01), अशोक खत्री (अ.सा.–02), संदीप कदम (अ.सा.–03), नित्यानंद पाण्डेय (अ.सा.–04), अजय कुमार शर्मा (अ.सा.–05), साधना डोम (अ.सा.–06), दिनेश रावत (अ.सा.–07) तथा कमल निगवाल (अ.सा.–08) के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये हैं।

05– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी रेखा माली द्वारा लिया गया बचाव उसी के शब्दों में निम्नानुसार है–

''मैं अर्जुन सिंह को नहीं जानती हूँ, उसका कोई काम मेरे पास पेडिंग नहीं था, नामान्तरण का आवेदन नहीं दिया था। लोकसेवक गारंटी अधिनियम के तहत नामान्तरण व बंटवारे का अधिकार पटवारी को नहीं है। यह कार्य राजस्व न्यायालय अथवा पंचायत के आदेश से सिर्फ रिकॉर्ड दुरूस्ती का कार्य पटवारी के पदीय कर्तव्य में आता है। रिकॉर्ड दुरूस्ती भी तहसीलदार के कार्यालय में तब हो पाती है, जब तहसीलदार पासवर्ड बताते हैं। मैंने कभी भी किसी कार्य के लिए रिश्वत नहीं मांगी। आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड में मेरी वार्ता नहीं है। दिनांक–14.06.2016 को मैं आगर में नहीं थी, वहां मेरा ऑफिस नहीं है। मेरा मुख्यालय आमला में है, दिनांक–14.06.2016 को मैं पूरे दिन वहीं पर थी। दिनांक–16.06.2016 को मुझे तहसीलदार श्री पाण्डे साहब ने सुजलान कम्पनी के विण्ड फार्म के

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

रास्ते को ग्रामीणों द्वारा रोक दिये जाने के विवाद को सुलझाने के निर्देश देने पर मैं दिन में दो–ढाई बजे तहसील परिसर आगर में सुजलान कंपनी की जीप में विवादस्थल पर जाने के लिए बैठी थी। सुजलान कंपनी ने विवाद वाली जगह बताने के लिए आशाबाई पति संतोष व एक अन्य महिला को भेजा था, जिसे मैं नहीं जानती। मैं जीप में तहसीलदार द्वारा आदेशित पटवारी व राजस्व निरीक्षक का इंतजार कर रही थी कि एक व्यक्ति ने अचानक आकर जीप में मुझे रूपये देने की कोशिश की, मैंने नहीं लिये तो जीप में रखे एक बैग में जबरन रूपये रख दिये। उसी समय एक महिला मेरा हाथ पकड़कर उतारकर तहसीलदार कक्ष में ले गई। उसी समय 5–6 लोग आ गये व मुझे बैठा लिया। किसी ने मेरा नाम पूछा, बाद में पता चला कि वह दिनेश रावत थे। मेरे द्वारा नाम बताने पर एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिसे बाद में मैंने न्यायालय में साधना डोम के रूप में पहचाना। एक व्यक्ति जीप में से वह बैग ले आया व मुझे तहसीलदार कक्ष में जिस कुर्सी पर बिठाया था, उसके सामने की कुर्सी पर अर्थात टेबल पर बैग रख दिया। वह बैग मेरा नहीं था, मेरा बैग जीप में ही रह गया था। आर्टिकल–जे का बैग मेरा नहीं है, यदि मेरा होता तो मेरा सामान उसमें से निकलता। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.–15 के द्वारा जप्त की गई भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका मेरे से जप्त नहीं हुई है, बल्कि तहसीलदार कक्ष की किसी अलमारी के बस्ते से जप्त हुई है, जो मेरा नहीं था। तहसीलदार आगर के कक्ष में जाने का मेरा कोई कार्य नहीं होता है। मुझे षडयंत्रपूर्वक फसाया है, मेरा एक नौ वर्ष का मंदबुद्धि बेटा है व एक छोटी बेटी है। मैंने आवेदक से कभी रिश्वत नहीं मांगी, न ही राशि प्राप्त की, मुझे झूठा फंसाया है।''

06– आरोपी की ओर से बचाव में तहसील कार्यालय आगर में वाटरमेन के पद पर पदस्थ साक्षी शंकरलाल देवड़ा (ब.सा.–01) व आरोपी की बहन गायत्री राजौरा (ब.सा.–02) का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है।

07– <u>प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न हैं कि</u> –

1. क्या आरोपी रेखा माली ने दिनांक–14.06.2016 या इसके पूर्व पटवारी हल्का नंबर 2 ग्राम महुडिया तहसील व जिला आगर में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर व उसके भाईयों की कृषि भूमि के नामांतरण के लिए 35,000/– रूपये रिश्वत की मांग की ?
2. क्या आरोपी रेखा माली ने दिनांक–16.06.2016 को दिन के 3 बजे तहसीलदार आगर के कक्ष में आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर से 10,000/– रूपये प्राप्त कर धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त किया ?
3. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, यदि कोई हो ?

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

//विवेचना एवं निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 व 02 :–

08– प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के दौरान साक्षी नित्यानंद पाण्डे (अ.सा.–04) के कथन में निरीक्षक कमल निगवाल द्वारा तहसीलदार जिला आगर मालवा को जारी किये गये पत्र दिनांक–21.06.2016 का उल्लेख प्रदर्श पी.–20 के रूप में किया गया है, किन्तु उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श पी.–21 अंकित किया गया है। जबकि प्रदर्श पी.–20 के रूप में प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया गया है।

09– दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे से सह–संबंधित होने के कारण साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा रहा है।

10– उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आयी साक्ष्य पर विचार किये जाने के पूर्व आरोपी की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये लिखित तर्क में उल्लेखित प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार किया जाना आवश्यक है। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक वर्मा ने यह व्यक्त किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अपराध के अनुसंधान की कोई प्रकिया विहित नहीं है, ऐसी स्थिति में अभियोजन को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रकरण में किस विधिक प्रकिया को अपनाते हुए अनुसंधान किया गया था। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह आपत्ति भी ली गई है कि आरक्षी केन्द्र वि.पु.स्था. लोकायुक्त उज्जैन के अंतिम प्रतिवेदन कमांक–179/17 दिनांक–25.01.2018 में आरक्षी केन्द्र भोपाल के प्रभारी अधिकारी के नाम पर दिनांक व हस्ताक्षर के स्थान पर तृतीय अनुसंधान अधिकारी अतिम पंवार के द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, वह कभी भी वि.पु.स्था. लोकायुक्त भोपाल मध्यप्रदेश के थाना प्रभारी नहीं रहे हैं। इस प्रकार दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–173 (2)(आई) के निबंधनों में उक्त आरक्षी केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के द्वारा द.प्र.स. की धारा–2(आर) में परिभाषित पुलिस रिपोर्ट विधितः न्यायालय में प्रेषित नहीं की गई है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.–41 थाना प्रभारी सतीश कुमार वर्मा द्वारा कम्प्यूटर प्रिन्टर से तैयार की गई है। द.प्र.स. की धारा–154 व मध्यप्रदेश पुलिस रेगूलेशन कमांक–710 के अंतर्गत थाना प्रभारी को अपने हस्तलेख में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना अज्ञापक है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षियों के दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–161 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये कथन भी विवेचक द्वारा अपने हस्तलेख में लिखित नहीं किये गये हैं, जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–161(ए) एवं (3) के अज्ञापक प्रावधानों का उल्लघंन है।

11– आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक वर्मा की ओर से लिखित तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7/13 के अंतर्गत अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को सर्वप्रथम यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता का कोई ऐसा कार्य आरोपी के समक्ष लंबित था, जिसे करना आरोपी का पदीय कर्तव्य था और लोकसेवक द्वारा अपने उक्त पदीय कार्य के लिए रिश्वत की मांग की गई तथा इस प्रकार मांग की गई रिश्वत राशि प्राप्त की गई, अर्थात अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध रिश्वत की मांग एवं प्रतिग्रहण का भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। चूंकि आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर का कोई कार्य आरोपी के समक्ष लंबित नहीं था तथा स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। उसके द्वारा अपने कथन में आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार की रिश्वत राशि की मांग के तथ्य से इंकार किया गया है। ऐसी स्थिति में रिश्वत राशि की मांग का तथ्य ही न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं होने से आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

12– जबकि अभियोजन की ओर से भी प्रकरण में मौखिक व लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अनुसंधान की कोई विशेष प्रक्रिया विहित नहीं की गई है। अतः मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की विवेचना की जाती है। प्रकरण में दिनांक–25.01.2018 को आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–07, 13(1)(डी) सहपठित धारा–13(2) का संज्ञान लिया गया है। आरोपी द्वारा न्यायालय के संज्ञान लिये जाने के उक्त आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा न ही आरोपी यह प्रमाणित कर सका है कि अनुसंधान में अपनायी गई प्रक्रिया से वह प्रिज्यूडिस हुआ है।

13– जहां तक आवेदक के पक्षविरोधी होने का प्रश्न है ? केवल आवेदक के पक्षविरोधी घोषित होने के आधार पर ही आरोपी को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि प्रकरण में आवेदक अर्जुन सिंह को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है, किन्तु आवेदक के कथनों से अपराध के महत्वपूर्ण अवयवों का समर्थन होता है। यह उल्लेखनीय है कि आवेदक के कथन का वह भाग जो अभियोजन कहानी का समर्थन करता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण के शेष समस्त साक्षियों द्वारा अभियोजन कहानी व प्रस्तुत दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है, जबकि आरोपी की ओर से प्रस्तुत किये गये बचाव साक्षियों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी अपना बचाव विधितः प्रमाणित करने में विफल रही है। अतः आरोपों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को कठोर व अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

14– अभियोजन की ओर से इस संबंध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>सत पॉल विरूद्ध दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 294</u>** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **(B) Evidence Act (1 of 1872), S.145- Criminal trial - Cross-examination of his own witness by party-Evidentiary value of such witness Evidence cannot be discarded as a whole.**

Even in a criminal prosecution when a witness is cross-examined and contradicted with the leave of the court by the party calling him, his evidence cannot, as a matter of law, be treated as washed off the record altogether. It is for the Judge of fact to consider in each case whether as a result of such cross-examination and contradiction, the witness stands thoroughly discredited or can still be believed in regard to a part of his testimony. If the Judge finds that in the process, the credit of the witness has not been completely shaken, he may, after reading and considering the evidence of the witness, as a whole, with due caution and care, accept in the light of the other evidence on the record, that part of his testimony which he finds to be creditworthy and act upon it. If in a given case, the whole of the testimony of the witness is impugned, and in the process, the witness stands squarely and totally discredited, the Judge should, as matter of prudence, discard his evidence in toto. **(Para 51)**

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **<u>राजेश खटीक विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य आई.एल.आर. (2017) एम.पी. 924</u>** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा–7 व 13(2) – परिवादी का पक्षद्रोही हो जाना–प्रभाव–यद्यपि परिवादी पक्षद्रोही हो चुका है, उसके कथनों का वह भाग जो अभियोजन कहानी का समर्थन करता है उस पर विश्वास किया जा सकता है– अधिनियम की धारा–7 एवं 13(1)(डी) के अंतर्गत अपराध को साबित करने हेतु, मांग एवं प्रतिग्रहण दोनों को साबित करने की आवश्यकता है, परन्तु यदि परिवादी पक्षद्रोही हो चुका है, तो इसे परिस्थितिजन्य या अन्य मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है– पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य मात्र इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है तथा ऐसे साक्ष्य अभिलेख पर से मिटने वाले नहीं होते हैं– पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का सुसंगत भाग को कम से कम अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के साक्ष्य की संपुष्टि करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(सामान्य जानकारी/ विधिक उपयोग हेतु मान्य)

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **<u>माधवप्रसाद विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य आई.एल.आर. (2017) एम.पी. 1934</u>** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दाण्डिक पद्धति– पक्षविरोधी साक्षियों के कथन–अभिनिर्धारित–यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि पक्ष विरोधी घोषित

अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके अभिसाक्ष्य के उस भाग को विचार में लिया जा सकता है जो अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **<u>बृजलाल विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य आई.एल.आर. (2019) एम.पी. 177 (डी.बी.)</u>** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा–302–पक्षविरोधी साक्षीगण– विश्वसनीयता– अभिनिर्धारित– एक व्यक्ति का साक्ष्य अभिलेख से मिट नहीं जाता मात्र इसलिए कि वह पक्षविरोधी हो गया है– उसके अभिसाक्ष्य का अधिक सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिए– सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्षित किया है कि पक्षविरोधी साक्षी के अभिसाक्ष्य पर कम से कम उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन किये जाने की सीमा तक विश्वास किया जा सकता है।

15– यह उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अन्वेषण की कोई विशेष प्रक्रिया विहित नहीं की गई है। उक्त मामलों का अन्वेषण The Madhya Pradesh Special Police Establishment (Amendment) Act No.25 of 2003 द्वारा यथा संशोधित The Madhya Pradesh Special Police Establishment Act, 1947 की धारा–02 के अनुबंधों में गठित विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना विहित है। उक्त अधिनियम की धारा–04 (1–ए) में अन्वेषण की प्रक्रिया एवं व्यवहार के संबंध निम्नानुसार उपबंधित किया गया है :–

> Without prejudice to the gernerality of the power of Superintendence the Lokayukt may call from the Director Special Police Establishment returns and may issue general directions for regulating practice and procedure of investigation to be adopted by the Special Police Establishment .

16– वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन की ओर से प्रकरण में अपनायी गई अनुसंधान की प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त निर्देश अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, किन्तु मात्र इस आधार पर ही प्रकरण में की गई कार्यवाही को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। आरोपी की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि इस आधार पर वह प्रिज्यूडिस हुआ है। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिये जाने के उपरांत भी उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी की ओर से इस संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

17– जहां तक आरोपी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–161 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये कथनों के संबंध में ली गई आपत्ति का प्रश्न है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट को मात्र टंकित करना, प्रारूप के विभिन्न खण्डों में जानकारी भरना और प्रारूप को स्पष्ट एवं सुवाच्य बनाने के उद्देश्य मात्र से कम्प्यूटर साफ्टवेयर का उपयोग प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–161 के

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि, (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

अंतर्गत कथन लेखबद्ध करने में किया जाता है। दोनों ही मामलों में कम्प्यूटर का उपयोग मात्र टाईपिंग मशीन की भांति होता है और दस्तावेज (प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बयान) अस्तित्व में उस पर भौतिक हस्ताक्षर होने के उपरांत ही आता है। अतः उक्त प्रक्रिया में किसी भी विधि का उल्लघंन होना दृष्टिगत नहीं है।

18– आरोपी की ओर से लिखित तर्क में यह आपत्ति भी ली गई है कि नामान्तरण की प्रक्रिया में विधि अनुसार पटवारी की कोई भूमिका नहीं है और न ही उक्त कार्य आरोपी के पदीय कर्तव्य में आता है। स्वयं अभियोजन साक्षी नित्यानन्द पाण्डे (अ.सा.–04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी का पदीय कर्तव्य नामान्तरण के संबंध में तब आयेगा, जब तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत नामान्तरण का आदेश पारित कर दे। चूंकि प्रकरण में भूमि के संबंध में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी के समक्ष आवेदक का कोई विभागीय कार्य लंबित नहीं था, जिसके संबंध में आरोपी, आवेदक अर्जुन सिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग कर सके। रिश्वत की मांग किये जाने के संबंध में आरोपी के पास कोई हेतुक ही नहीं था, अतः आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

19– यह उल्लेखनीय है कि भू–राजस्व संहिता की धारा–109 व 110 में अधिकारों के अर्जन पर ऐसा अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति को अधिकारों के अर्जन करने की जानकारी पटवारी को दिये जाने का उल्लेख है तथा सर्वप्रथम पटवारी का ही यह कर्तव्य है कि वह इस संबंध में प्राप्त जानकारी से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करावे तथा आगामी कार्यवाही करे। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि नामान्तरण का आदेश होने के उपरांत ही आरोपी अर्थात् पटवारी का पदीय कर्तव्य इस संबंध में प्रारंभ होता है।

20– न्याय दृष्टांत **<u>लक्ष्मीकांत विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2014 (5) एम.पी.एच.टी. 143 (डीबी)</u>** के मामले में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–अभिलेख में नामान्तरण करने के लिए यह कथित किया गया कि पटवारी ने घूस की रकम प्राप्त की– इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वह स्वयं नामान्तरण करने के लिए सक्षम नहीं था। बशर्तें वह नामान्तरण कार्यवाही करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिससे कि वह अभियोगी में यह धारणा उत्पन्न कर सके कि वह नामान्तरण करने के लिए सहायक रहेगा।

21– सामान्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित ट्रेप प्रकरणों में अन्वेषण के दौरान अवैध पारितोषण में प्रयोग की गई करेन्सी नोटों की पहचान करने के लिए फिनाल्फथैलीन परीक्षण एवं आरोपी द्वारा मांग को दर्शित करने के लिए इलेक्ट्रानिक वाईस रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। उक्त दोनों ही प्रकार की पद्धतियॉ अपनायी जाने पर, जो साक्ष्य एकत्रित की जाती है, वह सम्पोषक प्रकृति की साक्ष्य होती है। केवल

उक्त साक्ष्य के आधार पर न तो प्रकरण में दोषसिद्धी अधिरोपित की जा सकती है और न ही दोषमुक्ति, अर्थात उक्त कार्यवाही में केवल किसी एक साक्षी के अभियोजन का समर्थन नहीं करने अथवा उसके पक्षविरोधी घोषित किये जाने के आधार पर ही प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता हैं। क्योंकि ट्रेप संबंधी प्रकरणों में आवेदक की ओर से रिश्वत संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा सुनियोजित तरीके से कार्यवाही करते हुए ट्रेप दल का गठन किया जाता है, जिसमें दो निष्पक्ष गवाह अर्थात विज्ञप्त पंचों को भी शामिल किया जाता है तथा लोकसेवक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का प्रयास किया जाता है। उक्त ट्रेप दल के सदस्यों की न तो आरोपी से कोई पूर्व रंजिश होती है और न ही पूर्व पहचान, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आरोपी को असत्य रूप से झूठा फसाये जाने की संभावना भी लगभग नगण्य होती है। विज्ञप्त पंचों का चयन भी सामान्यतः ट्रेप कार्यवाही के एक दिन पूर्व जिला कलेक्टर के कार्यालय से उनके आदेशानुसार किया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

22– आवेदक अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) ने घटना के संबंध में अपने कथन में यह बताया है कि उसे तथा उसके छः भाईयों को 23 बीघा जमीन मिली थी, जिसका उनके मध्य बंटवारा करवाना था, इसलिए वह अपने साथी बाबूलाल के साथ पटवारी मैडम के आगर स्थित ऑफिस में गया था, पर उस समय आरोपी वहां नहीं मिली थी। जब बाद में उसने आरोपी से फोन पर बात की थी, तब आरोपी ने उसे अगले दिन बात करने के लिए कहा था। किन्तु उसके भोपाल चले जाने पर अगले दिन उसके साथी बाबुलाल ने आरोपी से बात की थी। तत्पश्चात उसके साथी बाबुलाल ने ही उससे कहा था कि अगर आवेदन करेंगे तो काफी टाईम लग जायेगा, पर आरोपी (पटवारी मैडम) को कुछ रूपये दे देंगे तो जल्दी काम हो जायेगा। तब उसने बाबुलाल से कहा था कि उसे कोई रिश्वत की राशि नहीं देनी है। इसके बाद वह तथा बाबुलाल दिनांक–14.06.2016 को लोकायुक्त कार्यालय में एस.पी. दिलीप सोनी के पास गये थे, किन्तु पटवारी रेखा (आरोपी) से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। आवेदक ने यह भी व्यक्त किया है कि एस0पी0 दिलीप सोनी को उन्होंने आरोपी द्वारा कार्यवाही के लिए पैसे मांगने की बात बतायी थी, तब दिलीप सोनी ने उन्हें दिनेश रावत के पास भेज दिया था, तब उनके द्वारा दिनेश रावत को भी पटवारी रेखा द्वारा रूपये मांगने की बात बतलायी थी। रावत साहब ने कहा कि अपने पास कोई सबूत नहीं है कि पटवारी रूपये मांग रही है, इसलिए उन्होने रिकार्ड करने के लिए एक रिकार्डर दिया था जो मोबाईल जैसा था, जिसमें चिपकार्ड लगा था और उनके स्टाफ के संदीप कदम को उनके साथ भेजा था।

23– आवेदक अर्जुन सिंह ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि लोकायुक्त कार्यालय में कुछ समय लग रहा था, इसलिए उसने बाबूलाल को पहले ही आरोपी के कार्यालय भेज दिया था। इसके बाद वह

तथा संदीप कदम बाईक से आगर में पटवारी रेखा के कार्यालय में गये थे। आरक्षक संदीप कदम रेखा के कार्यालय के बाहर ही खड़ा रहा और वह स्वयं रिकार्डर चालू करके अंदर गया था। ऑफिस के अंदर पटवारी रेखा, बाबुलाल और एक—दो अन्य लोग भी बैठे थे। तब उसने अंदर जाकर पटवारी रेखा से कहा कि वह बंटवारा कराने के लिए आया है। थोडी देर तक तो मैडम रेखा पटवारी उससे उसके बच्चे के बारे में और ऐसे ही बातचीत करती रही, फिर उसने बार—बार यही पुछना चाहा कि बंटवारा कराने के लिए वह कितने पैसे लेगी पर आरोपी ने उसे यह नहीं बोला कि वह कितने रूपये लेगी। उसने लगभग 1 घंटे तक आरोपी से बातचीत की थी। बातचीत पुरी होने के बाद उसने रिकार्डर बाहर आकर संदीप कदम को दे दिया था।

24— आवेदक ने अपने कथन में वाईस रिकार्डर देने का पंचनामा प्रदर्श पी.—2, आवेदन पत्र प्रदर्श पी.—3, वाईस रिकार्डर रखने का पंचनामा प्रदर्श पी.—4, लिफाफा प्रदर्श पी.—05 व प्रदर्श पी.—06, ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा प्रदर्श पी.—07 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है।

25— अभियोजन की ओर से आवेदक को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आवेदक ने अपने कथन के पैरा—27 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसे तथा उसके भाईयों को मिली हुई 23 बीघा जमीन का उसे अलग—अलग नामान्तरण करवाना था। अपने कथन के पैरा—31 में आवेदक ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी रेखा माली ने उससे अलग—अलग नामान्तरण करने के लिए 30 हजार रूपये की मांग की थी तथा कुछ कम करने के लिए बोलने पर वह 28 हजार रूपये लेने के लिए सहमत हो गई थी, किन्तु आवेदक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी रेखा माली ने उसे पैसे लेकर बुधवार को आने के लिए कहा था, किन्तु प्रतिपरीक्षण के पैरा—49 में आवेदक ने यह व्यक्त किया है कि बुधवार को रूपये लेकर आने की बात रेखा माली ने उससे कही थी या बाबूलाल से कही थी, यह उसे ध्यान नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पैरा—46 में भी आवेदक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक—14.06.2016 के पूर्व उसकी आरोपी से प्रकरण के बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई थी तथा न ही आरोपी ने उससे कोई रिश्वत राशि की मांग की थी।

26— प्रदर्श पी.—01 का आवेदन पत्र वह प्रथम आवेदन पत्र है, जिसके आधार पर वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। उक्त आवेदन पत्र में आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह स्वयं तथा उसके भाईयों के मध्य 23 बीघा कृषि भूमि का अलग—अलग नामान्तरण करवाने के लिए करीब 15 दिन पूर्व रेखा माली पटवारी हल्का नंबर—02 ग्राम महूड़िया तहसील आगर से मिला था, तो पटवारी ने कृषि भूमि का अलग—अलग नामान्तरण करने के लिए उससे 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी।

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

27– प्रदर्श पी.–01 के आवेदन पत्र के आधार पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत (अ.सा.–07) ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि दिनांक–14.06.2016 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी ने आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श पी.–01 का आवेदन पत्र उसे तस्दीक कर कार्यवाही करने की टीप अंकित कर प्रदान किया था। उक्त आवेदन पत्र के एच से एच भाग पर पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी की टीप अंकित है एवं आई से आई भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने श्री दिलीप सोनी के साथ अधीनस्थ रहकर कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर व उनकी हस्तलिपि पहचानता है।

28– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि इसके बाद वह आवेदक अर्जुन सिंह को अपने कार्यालय के अपने चैंबर में ले गया तथा वहां पर आवेदन पत्र के संबंध में उससे विस्तृत पूछताछ की, तो आवेदक ने यह बताया कि वह ग्राम मोहडिया, तहसील आगर का रहने वाला है। ग्राम में ही उसके पिता लक्ष्मण सिंह और बडे पिता भगवान सिंह गुर्जर के नाम 31–31 बीघा कृषि भूमि है, जिसका नामांतरण हल्का पटवारी, मोहडिया, हल्का नंबर 02 रेखा माली से करवाना था, जिसके लिए पटवारी रेखा माली ने 35,000/–रूपये रिश्वत की मांग की है। इसके बाद उसने तस्दीक हेतु रीडर कार्यालय से एक डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, एक नया मेमोरी कार्ड एवं एक नया सेल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर आवेदक को दिया और उसे वाईस रिकॉर्डर चलाने के प्रकिया भी समझायी। तत्पश्चात आवेदक के साथ आरक्षक संदीप कदम, छायासाक्षी को आवश्यक समझाईश देकर आगर के लिए रवाना किया और आवेदक को यह बताया कि वह पटवारी रेखा माली के साथ रिश्वत संबंधी वार्ता रिकॉर्ड कर उसके समक्ष प्रस्तुत करे। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वाईस रिकॉर्डर देने के संबंध में उसके द्वारा कार्यालय के सहायक ग्रेड–02 अशोक खत्री से कार्यालय के कम्प्यूटर पर प्रदर्श पी.–02 का पंचनामा तैयार करवाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा ए से ए भाग पर आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर के हस्ताक्षर हैं।

29– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उक्त दिनांक को रात्रि के लगभग 9 बजे आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर और आरक्षक संदीप कदम वापस आए और आवेदक ने उसे यह बताया कि उसके द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेकर वह पटवारी रेखा माली के किराये से लिये गये निजी कार्यालय, आगर में आरक्षक संदीप कदम को बाहर खड़ा कर अंदर गया था व नामान्तरण के संबंध में बातचीत की थी, जिसमें पटवारी रेखा माली द्वारा उससे 30,000/–रूपये रिश्वत की मांग की गयी है, जब उसके द्वारा रेखा माली से कुछ रकम कम करने के लिए कहा गया, तो रेखा माली द्वारा 28,000/–रूपये में भूमि का नामांतरण करने के लिये सहमत होकर रूपये लेकर बुधवार को आने के लिए कहा है।

30– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि

आवेदक ने उससे यह कहा था कि इतने रूपये की व्यवस्था बुधवार तक नहीं हो पाएगी, इसलिए वह 10,000/—रूपये की व्यवस्था करके दिनांक 16.06.2016 को सुबह उपस्थित हो जायेगा। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद आवेदक ने प्रदर्श पी.—03 का आवेदन पत्र स्वयं का फोटो चस्पा कर उसके समक्ष प्रस्तुत किया तथा दिया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर भी उसे वापस किया था। तब उसके द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को एक लिफाफे में रखकर विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया और उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित रखने का पंचनामा प्रदर्श पी.—04 बनाया। इसके बाद उसके द्वारा आवेदक अर्जुन सिंह को दिनांक 16.06.16 को प्रातः 09 बजे रिश्वत की राशि लेकर विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होने हेतु कहा गया।

31— आगामी कार्यवाही के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह बताया है कि उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को प्रकरण की परिस्थितियों से अवगत कराया गया जिसके आधार पर दिनांक 15.06.16 को पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा अपर कलेक्टर उज्जैन को दो राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रदर्श पी.—37 का पत्र लिखा गया और उक्त दिनांक को ही रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन उज्जैन को दो महिला आरक्षक उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रदर्श पी.—38 का पत्र लिखा गया, तब प्रदर्श पी.—37 के पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा उक्त दिनांक को ही प्रदर्श पी.—23 का आदेश पारित करते हुए चिकित्सक डी. सप्रे, सहायक शल्य चिकित्सक, उप संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवा उज्जैन एवं अजय कुमार शर्मा सहायक यंत्री, वरिष्ठ भू जलविद् संभागीय भू—जल सर्वेक्षण ईकाई को विज्ञप्त पंच के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें दिनांक 16.06.16 को प्रातः 09 बजे विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया गया। रक्षित निरीक्षक जिला उज्जैन द्वारा महिला आरक्षक 1654 साधना डोम एवं महिला आरक्षक 50 रीना शर्मा को ड्यूटी फार्म प्रदर्श पी.—39 के माध्यम से विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में दिनांक 16.06.16 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

32— निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 16.06.16 को प्रातः 09 बजे आवेदक अर्जुन सिंह विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित हुआ तथा अपर कलेक्टर उज्जैन के आदेश प्रदर्श पी.—23 के पालन में अजय कुमार शर्मा, सहायक यंत्री एवं डॉ. दिनकर सप्रे सहायक शल्य चिकित्सक, विज्ञप्त पंच भी उपस्थित हुए एवं महिला आरक्षक 50 रीना शर्मा एवं 1654 साधना डोम डी.आर.पी. लाईन उज्जैन से उपस्थित हुईं। तब उसके द्वारा विज्ञप्त पंचों से परिचय प्राप्त कर आवेदक अर्जुन सिंह से उन दोनों विज्ञप्त पंचों का परिचय करवाया गया।

33— निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि इसके बाद आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा दिनांक 14.06.16 को दिये गये टाईपशुदा दोनों आवेदन पत्र प्रदर्श पी.—01 एवं 03, विज्ञप्त पंच अजय कुमार

(सामान्य जानकारी हेतु निःशुल्क (शासकीय/व्यावसायिक उपयोग हेतु अमान्य))

शर्मा को दिये गये और उन्हें जोर से पढकर आवेदक अर्जुन सिंह को सुनाने हेतु कहा गया। विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा ने प्रदर्श पी.–01 एवं 03 के आवेदन पत्रों को जोर से पढकर आवेदक को सुनाया गया और उसमें लिखी बातों के बारे में पूछे जाने पर आवेदक ने प्रदर्श पी.–01 व 03 में लिखी बातें सही होना बतायी। इस पर विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा ने प्रदर्श पी.–01 के ई से ई भाग पर एवं प्रदर्श पी.–03 के डी से डी भाग पर इस संबंध में टीप अंकित की और उसके नीचे हस्ताक्षर किये तथा विज्ञप्त पंच डॉ. दिनकर सप्रे ने भी प्रदर्श पी.–01 व 03 को पढकर उन पर अपने हस्ताक्षर किये।

34– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि इसके बाद उसने आवेदक एवं दोनों विज्ञप्त पंचों के समक्ष सील चपडी से बंद शासकीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को अपने कक्ष की अलमारी से निकाला तथा लिफाफे को फाडकर उसमें से शासकीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर पर सहायक ग्रेड–02 अशोक खत्री से अटैच करवाकर, चलाकर सुनाया गया, जिसमें टेप हुई बातचीत में आवेदक अर्जुन सिंह ने अपनी व आरोपी रेखा माली पटवारी की आवाज को सुनकर पहचाना, तत्पश्चात उसके द्वारा आवेदक की मदद से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवायी गयी, जिसमें ''आवेदक'' से तात्पर्य अर्जुन सिंह व ''अनावेदिका'' से तात्पर्य रेखा माली से है।

35– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने के बाद उसके द्वारा अशोक खत्री से उक्त बातचीत की, चार सी.डी. बनवायी गयी जिन्हें चलाकर आवेदक और विज्ञप्त पंचों को सुनाने के बाद चार अलग–अलग लिफाफों में रखकर सील चपडी से सीलबंद किया गया और उक्त लिफाफों पर आवेदक, दोनों पंचों व उसने हस्ताक्षर किये। इसके बाद कार्यालय के कम्प्यूटर से शासकीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को निकालकर उसमें से मेमोरी कार्ड, जिसमें उक्त वार्ता दर्ज थी, को एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपडी से सीलबंद कर उक्त लिफाफे पर आवेदक, दोनों पंचों व उसने हस्ताक्षर किये। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उक्त सी.डी. का लिफाफा प्रदर्श पी.–06 है, जिसके अंदर रखी हुई सी.डी. आर्टिकल–बी है एवं मेमोरी कार्ड का लिफाफा प्रदर्श पी.–05 है, जिसके अंदर रखा हुआ मेमोरी कार्ड आर्टिकल–ए है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि कम्प्यूटर पर तैयार किया गया ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा, सी.डी. बनाने एवं सी.डी. व मेमोरी कार्ड जप्त करने का पंचनामा प्रदर्श पी.–07 है, जो 11 पृष्ठों में है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर डी से डी भाग पर उसके, ए से ए भाग पर आवेदक तथा बी से बी एवं सी से सी भाग पर दोनों विज्ञप्त पंचों के हस्ताक्षर हैं।

36– निरीक्षक दिनेश रावत के कथन का समर्थन करते हुए वि.पु. स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में पदस्थ सहायक ग्रेड–02 अशोक खत्री (अ.सा.–02) ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि निरीक्षक दिनेश रावत के निर्देश पर उसने दिनांक–14.06.2016 को कार्यालय के कम्प्यूटर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु मान्य)

पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर देने का पंचनामा प्रदर्श पी.–02, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखने का पंचनामा प्रदर्श पी.–04 एवं दिनांक–16.06.2016 को ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा प्रदर्श पी.–07 टाईप किया था एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की चार सी.डी. तैयार कर उन्हें प्रदान की थीं।

37– आरक्षक संदीप कदम (अ.सा.–03) ने भी निरीक्षक दिनेश रावत के कथन का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि दिनांक–14.06.2016 को निरीक्षक दिनेश रावत ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर से उसका परिचय करवाया था और उसे यह बताया कि उसे आवेदक के साथ आगर जाना है। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत ने आवेदक को एक शासकीय डिजीटल वाईस रिकार्डर नया सेल लगाकर चलाने की विधि समझाकर आवेदक को दिया था और उसे यह बताया था कि उसे आरोपी से होने वाली रिश्वत संबंधी बातचीत को उक्त वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करना है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि निरीक्षक दिनेश रावत ने वाईस रिकॉर्डर देने का पंचनामा प्रदर्श पी.–2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

38– आरक्षक संदीप कदम ने अपने कथन में यह भी बताया है कि इसके बाद वह तथा आवेदक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन से आगर गये थे। आगर पहुंचकर आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर उसे रेखा माली पटवारी के किराये के कार्यालय के बाहर खड़ा करके अकेला ही उसके कार्यालय में रिश्वत संबंधी बातचीत करने अंदर गया था व कुछ देर बाद वापस आकर उसे यह बताया था कि उसने रेखा माली पटवारी से रिश्वत संबंधी बातचीत को वाईस रिकार्डर में गोपनीय रूप से रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद वह तथा आवेदक वापस उज्जैन आ गये थे और आवेदक ने उक्त वाईस रिकॉर्डर को दिनेश रावत के समक्ष पेश किया था एवं साथ में एक लिखित शिकायती आवेदन भी दिया था। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनेश रावत ने वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखने का पंचनामा प्रदर्श पी.–04 भी उनके समक्ष बनाया था।

39– अभियोजन की ओर से विज्ञप्त पंच श्री अजय कुमार शर्मा (अ.सा.–05) का परीक्षण भी न्यायालय के समक्ष कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में निरीक्षक दिनेश रावत के कथन व कार्यवाही का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि वह तथा सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी श्री दिनकर, अपर कलेक्टर, उज्जैन के प्रदर्श पी.–23 के आदेशानुसार दिनांक 16.06.2016 को सुबह 9 बजे लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित हुए थे। जहां निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा अपना परिचय दिया गया और उनका परिचय भी लिया गया, तत्पश्चात वहां उपस्थित शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह गुर्जर से भी उनका परिचय कराया गया। इसके बाद निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा दिनांक 14.06.2016 के दो शिकायती आवेदन पत्र जो कि शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह ने लिखे थे, उसे पढने व शिकायतकर्ता को सुनाने के लिए दिये गये, तब उसने उक्त दोनों आवेदन

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (साफ्टकॉपी) / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

पत्र जोर से पढकर शिकायकर्ता अर्जुन सिंह को सुनाये तो अर्जुन सिंह ने उक्त आवेदन पत्रों में लिखी हुई बातें सही होना बताया। तब उसने सत्यापन कर इस आशय की टीप उक्त दोनों आवेदन पत्रों पर अंकित की और अपने हस्ताक्षर किये। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आवेदन पत्र प्रदर्श पी.—1 पर ई से ई भाग पर उसके द्वारा टीप अंकित की गई है व एफ से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा जी से जी भाग पर डॉ0 दिनकर सप्रे के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार आवेदन पत्र प्रदर्श पी.—3 के डी से डी भाग पर उसके द्वारा टीप अंकित की गई तथा ई से ई भाग पर उसने तथा एफ से एफ भाग पर डॉ0 दिनकर सप्रे ने हस्ताक्षर किये।

40— विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा (अ.सा.—05) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि इसके बाद में दिनेश रावत ने उनके कार्यालय की आलमारी से एक सीलबंद लिफाफे में से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकाला था और अशोक खत्री के द्वारा उक्त वाईस रिकॅार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर उसमें रिकार्ड आवाज शिकायकर्ता व दोनों पंचों को सुनायी गई थी। तब आवेदक से पुछने पर आवेदक ने उक्त रिकार्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व एक अन्य आवाज आरोपी रेखा माली पटवारी की होना बतायी थी। तत्पश्चात उक्त रिकार्ड आवाज के आधार पर प्रदर्श पी.—07 का ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा बनाया गया एवं वाईस रिकार्डर से चार सी0डी0 बनायी गई थीं, जिन्हे चलाकर उन्हें सुनाया गया तथा चारों सी0डी0 को अलग—अलग लिफाफे में सीलबंद किया गया। वाईस रिकार्डर में से मेमोरी चिप आर्टिकल—ए को निकालकर एक अलग लिफाफे प्रदर्श पी.—05 में सीलबंद किया गया। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बनायी गई सी0डी0 आर्टिकल—बी है तथा सी0डी0 रखने का लिफाफा प्रदर्श पी.—6 है।

41— जहां तक आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग का प्रश्न है ? आवेदक अर्जुन सिंह (अ.सा.—01) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण व अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि आरोपी द्वारा उससे 14.06.2016 और उसके पूर्व उसके कृषि खाते की भूमि के नामान्तरण के संबंध में किसी भी रिश्वत राशि की मांग की गई थी। जबकि प्रकरण के विवेचक दिनेश रावत (अ.सा.—07), आरक्षक संदीप कदम (अ.सा.—03), अशोक खत्री (अ.सा.—02) एवं विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा (अ.सा.—05) के कथन से यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक—14.06.2016 को आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर प्रदर्श पी.—01 व प्रदर्श पी.—03 का आवेदन स्वयं का फोटो चस्पा कर अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आवेदक व उसके भाईयों की 23 बीघा कृषि भूमि का अलग—अलग नामान्तरण करवाने के लिए आरोपी रेखा माली पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने का उल्लेख था। हालाकि आवेदक अर्जुन सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि प्रदर्श पी.—01 व प्रदर्श पी.—03 के आवेदन पत्र पर उसके द्वारा दिनांक—16.06.16 को हस्ताक्षर किये गये थे एवं उक्त दोनों ही आवेदन पत्र उसके लोकायुक्त कार्यालय पहुंचने

के पूर्व ही टाईप हो गये थे। किन्तु अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त दोनों आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वैच्छया हस्ताक्षर कर लोकायुक्त कार्यालय में दिनांक—14.06.2016 को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। आवेदक स्वयं शिक्षित व पढा लिखा व्यक्ति है। अतः इस संबंध में किया गया आवेदक का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

42— प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक—14.06.2016 को निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा आवेदक को रिश्वत संबंधी वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के लिए वाईस रिकॉर्डर, नया मेमोरी कार्ड व सेल लगाकर दिया गया था, जिसके संबंध में प्रदर्श पी.—02 का पंचनामा बनाया गया था और उस पर निरीक्षक दिनेश रावत के साथ ही आवेदक व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेकर आवेदक उक्त दिनांक को ही आरोपी रेखा माली के घर स्थित प्रायवेट कार्यालय पर गया था और आरक्षक संदीप कदम को कार्यालय के बाहर खड़ा कर अंदर जाकर वाईस रिकॉर्डर में कथित रिश्वत संबंधी वार्ता गोपनीय रूप से दर्ज की थी। तत्पश्चात आवेदक द्वारा उक्त दिनांक को ही वापस आकर रात्रि के लगभग 09:30 बजे वाईस रिकॉर्डर निरीक्षक दिनेश रावत (अ.सा.—07) को वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में वापस कर दिया था एवं स्वयं का फोटो चस्पा कर प्रदर्श पी.—03 का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी.—04 के पंचनामे व उस पर आवेदक के हस्ताक्षर से भी होती है।

43— यह उल्लेखनीय है कि आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी.—01 व प्रदर्श पी.—03 के दोनों आवेदन पत्रों में आरोपी द्वारा भूमि के नामान्तरण के संबंध में रिश्वत की राशि की मांग किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा पूछताछ किये जाने पर उसने प्रकरण के विवेचक निरीक्षक दिनेश रावत (अ.सा.—07) एवं विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा (अ.सा.—05) द्वारा दिनांक—16.06.2016 को आवेदक से प्रदर्श पी.—01 व प्रदर्श पी.—03 के आवेदन पत्रों की तस्दीक किये जाने पर भी उक्त आवेदन पत्र में लिखी बातों को सही होना बताया गया है, जिसके संबंध में विज्ञप्त पंच द्वारा उक्त दोनों आवेदन पत्रों पर अपनी टीप भी अंकित की गई है। उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण के विवेचक दिनेश रावत एवं विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा के समक्ष यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था कि आरोपी रेखा माली द्वारा उससे भूमि के नामान्तरण के संबंध में रिश्वत राशि की मांग की गई है, किन्तु आवेदक स्वयं ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में इस तथ्य से इंकार कर दिया है कि आरोपी द्वारा उससे कोई रिश्वत राशि की मांग की गई थी। ऐसी स्थिति में विधि की दृष्टि में निरीक्षक दिनेश रावत एवं विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा के इस बारे में किये गये कथन का कोई महत्व नहीं है।

44— अतः अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन द्वारा, रिश्वत की मांग किये जाने के संबंध में दर्ज वार्तालाप को विधि अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया गया है ? इस संबंध में

साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में कथित रिश्वत संबंधी वार्ता दर्ज किये जाने के संबंध में आर्टिकल–ए का मेमोरी कार्ड व आर्टिकल–बी की सी.डी. साक्ष्य में प्रस्तुत की गई है तथा उसमें दर्ज वार्तालाप के संबंध में प्रदर्श पी.–07 का पंचनामा ''बनाने ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने सी.डी. बनाने एवं जप्त सी.डी. तथा जप्त मेमोरी कार्ड'' भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिस पर प्रकरण के विवेचक दिनेश रावत सहित आवेदक व विज्ञप्त पंचों के हस्ताक्षर हैं।

45– उपरोक्त साक्ष्य के संबंध में आरोपी की ओर से अपने लिखित तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि अभियोजन की ओर से आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड को प्राथमिक साक्ष्य बताकर प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त मेमोरी कार्ड प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल–बी की सी.डी. को अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्ले नहीं किया गया है और न ही उक्त सी.डी. को प्रमाणित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65(बी) (4) के अंतर्गत विधि अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह एक स्थापित विधि है कि डी.वी.आर. की अपनी एक इनबिल्ट मेमोरी होती है और वह एक पूर्ण इलेक्ट्रानिक डिवाईस है, जिसमें किसी भी प्रकार की आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है। मेमोरी कार्ड भी एक इलेक्ट्रानिक डिवाईस है, किन्तु उसमें डी.वी.आर. की भांति इलेक्ट्रानिक फंक्शन नहीं होता है। इस प्रकार डी.वी.आर. एक मशीन है और मेमोरी कार्ड एक चिप है, जिसमें इलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम से कोई भी डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अभियोजन की ओर से इस संबंध किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो यह प्रदर्शित कर सके कि डी.वी.आर. में मेमोरी कार्ड अटैच करने पर आवाज की रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड में स्वतः रिकॉर्ड होगी, इस कारण प्रकरण में प्रस्तुत मेमोरी कार्ड आर्टिकल–ए प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। आरोपी की ओर से लिखित तर्क में यह भी प्रकट किया गया है कि प्रकरण में स्वयं अभियोजन ने आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड को प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना है, इस कारण न्यायालय में डी.वी.आर. आहूत करने के लिए अभियोजन की ओर से दिनांक–11.12.2018 को धारा–91 व धारा–311 द.प्र.स. सहपठित धारा–165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र में स्वयं अभियोजन का यह कथानक रहा है कि प्रकरण में डी.वी.आर. ही मूल साक्ष्य है।

46– आरोपी की ओर से लिखित तर्क में यह भी व्यक्त किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक–11.12.2018 को अभियोजन का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में कथित रूप से उपयोग में लाये गये डी.वी.आर. को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के पालन में दिनांक–17.01.2019 को अभियोजन की ओर से डी.वी.आर. प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। इस प्रकार मूल डी.वी.आर. अभियोजन द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा केवल आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड पर ही इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के रूप में निर्भरता व्यक्त की गई है, जिसे वह प्रमाणित करने में विफल रहा है। चूंकि

आर्टिकल–ए प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है व मूल डी.वी.आर. अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में वर्णित ट्रांसस्क्रिप्ट भी विश्वसनीय नहीं होकर साक्ष्य में अग्राह्य है।

47– दिनांक–11.12.2018 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में जिस वाईस रिकॉर्डर के माध्यम से रिश्वत संबंधी वार्तालाप दर्ज किया जाना बताया गया है, उक्त मूल वाईस रिकॉर्डर को अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन से तलब किये जाने हेतु विशेष लोक अभियोजक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को ही स्वीकार करते हुए उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को प्रस्तुत करने हेतु पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन को पत्र जारी किये जाने के आदेश दिये गये थे, जिसके पालन में दिनांक–17.01.2019 को वि. पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन की ओर से न्यायालय को पत्र प्रेषित करते हुए यह व्यक्त किया गया था कि लोकायुक्त कार्यालय में वाईस रिकॉर्डर का उपयोग कई प्रकरणों में किया जाता है, इसलिए यह चिन्हित किया जाना संभव नहीं है कि किस प्रकरण में कौन सा वाईस रिकॉर्डर उपयोग किया गया था। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि वर्तमान में मेमोरी कार्ड युक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध होने से मेमोरी कार्ड में आवाज की रिकॉर्डिंग की जाती है व मेमोरी कार्ड ही प्राथमिक साक्ष्य के रूप में अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

48– अतः अब प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड को अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष प्राथमिक साक्ष्य के रूप में विधिवत् प्रमाणित किया गया है ? इस संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत (अ.सा.–07) ने अपने कथन में यह बताया है कि उसके द्वारा कथित रिश्वत संबंधी वार्ता दर्ज किये जाने के लिए आवेदक को एक डिजीटल वाईस रिकॉर्डर नया मेमोरी कार्ड व नये सेल लगाकर दिया गया था, जिसे आवेदक ने आरोपी से रिश्वत संबंधी बातचीत रिकॉर्ड कर उसके समक्ष प्रस्तुत किया था। इस संबंध में अभियोजन की ओर से आवेदक को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर दिये जाने के संबंध में दिनांक–14.06.2016 को बनाये गये प्रदर्श पी.–02 के पंचनामे व उक्त दिनांक को ही वाईस रिकॉर्डर वापस प्राप्त होने पर रात्रि के 09:30 बजे बनाये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखने बाबत् पंचनामे प्रदर्श पी.–04 को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों ही पंचनामों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं तथा उन्हें अभियोजन की ओर से साक्ष्य के दौरान विधिवत् प्रमाणित भी किया गया है।

49– रिश्वत संबंधी कथित वार्ता के आधार पर प्रदर्श पी.–07 का पंचनामा बनाये जाने के संबंध में प्रकरण के विवेचक दिनेश रावत (अ.सा.–07) ने अपने कथन के पैरा–11 में स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि दिनांक–16.06.2016 को उसने आवेदक व दोनों विज्ञप्त पंचों के समक्ष सील

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि, (व्यवसायिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु अमान्य)

चपड़ी से बंद शासकीय वाईस रिकॉर्डर को अपने कक्ष की अलमारी से निकालकर उक्त वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर पर सहायक ग्रेड–2 अशोक खत्री से अटैच करवाकर चलाकर सुनाया गया, जिसमें टेप हुई बातचीत में आवेदक अर्जुन सिंह ने अपनी व आरोपी रेखा माली की आवाज को सुनकर पहचाना था और आवेदक के माध्यम से उक्त बातचीत की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई थी।

50— विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा (अ.सा.–05) ने भी अपने कथन में वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर आवेदक को उसमें दर्ज बातचीत सुनाया जाना तथा आवेदक द्वारा उक्त रिकॉर्डिंग में एक आवाज स्वयं की और अन्य आवाज आरोपी रेखा माली की होना बताया है। प्रदर्श पी.–07 के पंचनामा टाईप करने वाले साक्षी अशोक खत्री (अ.सा.–02) ने भी दिनांक–16.06.2016 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर पर अटैच कर आवेदक व आरोपी के मध्य हुई बातचीत का ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा बनाया जाना व्यक्त किया है।

51— अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे पर निरीक्षक दिनेश रावत, विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा व आवेदक अर्जुन सिंह के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया है। प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक–16.06.2016 को प्रातः 09:00 बजे दिनांक–14.06.2016 को आवेदक द्वारा वापस किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सील चपड़ी से बंद लिफाफे से खोलकर विज्ञप्त पंच व आवेदक के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर पर अशोक खत्री सहायक ग्रेड–2 से अटैच करवाकर चलाकर सुनाया गया, जिसमें टेप हुई बातचीत में आवेदक ने अपनी व अनावेदिका रेखा माली पटवारी एवं अन्य मैडम की आवाज सुनकर पहचानकर बताने पर आवेदक की मदद से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई, जिसमें आवेदक से तात्पर्य अर्जुन सिंह से है तथा अनावेदिका से तात्पर्य रेखा माली से है।

52— निरीक्षक दिनेश रावत, विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा व अशोक खत्री ने अपने कथन में कहीं भी यह प्रकट नहीं किया है कि दिनांक–16.06.2016 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को अलग कर केवल मेमोरी कार्ड को कम्प्यूटर से अटैच कर चलाकर प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में वर्णित ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई थी। उक्त सभी साक्षियों ने अपने कथन में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से अटैच कर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार किया जाना बताया है। प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड को कम्प्यूटर से अटैच कर चलाकर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई थी।

53— प्रकरण के विवेचक दिनेश रावत (अ.सा.–07) ने स्पष्ट रूप से अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–53 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ''प्रदर्श पी.–07 ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामे की कार्यवाही के समय मेमोरी कार्ड को पृथक से कार्ड रीडर से नहीं चलाया गया था, डी.वी.आर. को कम्प्यूटर से अटैच

कर वार्ता को प्ले किया गया था और आवेदक व विज्ञप्त पंचों को सुनाया गया था। यह कहना सही है कि इस प्रक्रिया में वार्ता डी.वी.आर. की मेमोरी से प्ले हो रही थी या मेमोरी कार्ड की मेमोरी से प्ले हो रही थी, ऐसा स्पष्टीकरण मैंने प्रदर्श पी.–07 में नहीं लिखा है।'' साक्षी ने इसी पैरा में यह भी व्यक्त किया है कि ''मैं यह आज नहीं बता सकता हूं कि मैंने जो मेमोरी कार्ड आर्टिकल–ए साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, उसमें उपलब्ध डाटा डी.वी.आर. की मेमोरी से ट्रांसफर हुआ है। स्वतः कहा कि यह टेक्नीशियन ही बता सकता है।'' प्रतिपरीक्षण के पैरा–57 में साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड के डाटा को प्रदर्श पी.–07 में उल्लेखित ट्रांसस्क्रिप्ट वार्ता से मिलान नहीं किया है। उक्त पैरा में ही साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि आवेदक व आरोपी के मध्य कितने मिनिट का वार्तालाप हुआ था। उक्त पंचनामे में ई से ई लगायत ओ से ओ भाग में कितने समय की वार्ता है, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है।

54– हालाकि आवेदक अर्जुन सिंह के कथन के पैरा–10 में इस बात का उल्लेख है कि आर्टिकल–ए की चिप लेपटॉप पर लगाकर उसे सुनायी गई थी, जिसमें उसने एक आवाज उसकी व एक आवाज रेखा माली पटवारी की होना बताया था तथा यह भी बताया था कि जो अन्य आवाजें हैं, उसमें उसके साथ के बाबूलाल व एक अन्य मैडम की है, जिसे वह नहीं जानता है। किन्तु प्रतिपरीक्षण के पैरा–49 में बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर आवेदक ने यह व्यक्त किया है कि यदि उसे आज आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड को चलाकर सुनाया जाये तो वह सिर्फ अपनी आवाज पहचान सकता है, बाकी आवाज नहीं पहचान सकता है।

55– प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में आवेदक व आरोपी का कथित वार्तालाप 11 पेज में ट्रांसस्क्रिप्ट के रूप में तैयार किया गया है, किन्तु उक्त पंचनामे में और न ही साक्षियों के कथन में यह उल्लेख है कि उक्त संपूर्ण वार्तालाप कुल कितने मिनिट का होकर डी.वी.आर. में दर्ज है। अविवादित रूप से आवेदक व आरोपी की आवाज की पहचान के संबंध में कोई वाईस एनालिसिस या फोरेसिंक जॉच विवेचना के दौरान नहीं करायी गई है। निरीक्षक कमल निगवाल द्वारा आरोपी को आवाज का नमूना दिये जाने के संबंध में प्रेषित किये गये सूचना पत्र दिनांक–28.06.2016 प्रदर्श पी.–56 में आरोपी रेखा माली की ओर से यह टीप अंकित की गई है कि वह आवाज का नमूना नहीं देना चाहती है। दिनांक–06.07.2016 को प्रदर्श पी.–57 का सूचना पत्र प्रेषित किये जाने पर आरोपी द्वारा प्रदर्श पी.–58 का पत्र प्रेषित कर दिनांक–12.07.2016 को पुनः यह व्यक्त किया गया है कि वह आवाज का नमूना नहीं देना चाहती है। न्यायालय के समक्ष भी आरोपी की आवाज का नमूना लिये जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

56– प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन का यह दायित्व था कि वह प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य से यह प्रमाणित करता कि आर्टिकल–ए के

मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई कथित बातचीत आवेदक व आरोपी के मध्य की है। तत्पश्चात ही उक्त वार्तालाप की ट्रांसस्क्रिप्ट को साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता था। प्रकरण में आवेदक द्वारा अपने कथन के पैरा–10 में न्यायालय में स्वयं की व आरोपी की आवाज पहचानना बताया गया है, किन्तु अभियोजन की ओर से साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड में दर्ज संपूर्ण वार्तालाप आवेदक को साक्ष्य के दौरान सुनाया गया था और उसका प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में वर्णित ट्रांसस्क्रिप्ट से भी मिलान किया गया था। अभियोजन की ओर से यह तथ्य भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि उक्त संपूर्ण वार्तालाप कितने समय का है।

57– प्रदर्श पी.–07 की ट्रांसस्क्रिप्ट में ई से ई, ओ से ओ, एफ से एफ, जी से जी, एच से एच, आई से आई, एन से एन में कितने समय की वार्ता, कितने व्यक्तियों के मध्य, किस विषय पर की गई है, कोई उल्लेख नहीं है, इस तथ्य को प्रतिपरीक्षण के पैरा–54 में निरीक्षक दिनेश रावत ने भी स्वीकार किया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ट्रांसस्क्रिप्ट बनाते समय आवेदक को रिकॉर्ड की गई संपूर्ण वार्ता नहीं सुनाते हैं, जैसे ही वार्तालाप को प्ले किया जाता है, तब आवेदक स्वयं की तथा दूसरे पक्ष की आवाज को पहचानता है और इस आधार पर ट्रांसस्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–57 में ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा बनाने में लगभग एक घंटा बीस मिनिट का समय लगना बताया है, जबकि विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–32 में उक्त डी.वी.आर. लगभग 10–15 मिनिट चलाया जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि डी.वी.आर. में तीन व्यक्तियों की आवाजें थी तथा उसमें दर्ज चर्चा में तीन से ज्यादा व्यक्तियों की आवाजें भी हो सकती है।

58– **<u>चन्द्रभान कर्दम विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2010 CRI. L. J. 3128</u>** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा–19 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– So far as the first point which learned counsel for the appellant has put emphasis in respect to the credential value of the tape recorded version and transcript is concerned, according to us, since the prosecution did not submit any scientific proof that the cassette containing the tape recorded voice is of appellant and complainant, no reliance can be attributed to this electronic evidence. As a matter of fact, just like an admitted signature is sent to compare with the disputed signature to the handwriting expert for obtaining its opinion, in the similar manner in order to prove the authenticity and hallmark of the tape recorded version it was for the investigating agency to record the specimen and admitted voice of the appellant and complainant and it should have been sent to the expert to compare the disputed voice recorded in the cassette with the admitted voice of the appellant and complainant and then only any reliability on the tape

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

recorded evidence could be attributed. The investigating agency has totally deviated from this procedure and, therefore, according to us, the electronic evidence is not at all helpful to the prosecution.

राम सिंह व अन्य विरूद्ध कर्नल राम सिंह, ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 3 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–**Representation of The People Act (43 of 1950), S.86, S.87- Election petition - Tape recorded statement - Admissibility of - Conditions precedent.** Per Majority (Varadarajan, J. contra):- The conditions for admissibility of a tape recorded statement are as follows :

(1) The voice of the speaker must be duly identified by the maker of the record or by others who recognise his voice. In other words, it manifestly follows as a logical corollary that the first condition for the admissibility of such a statement is to identify the voice of the speaker. Where the voice has been denied by the maker it will require very strict proof to determine whether or not it was really the voice of the speaker.
(2) The accuracy of the tape recorded statement has to be proved by the maker of the record by satisfactory evidence direct or circumstantial.
(3) Every possibility of tampering with or erasure of a part of tape recorded statement must be ruled out otherwise it may render the said statement out of context and, therefore, inadmissible.
(4) The statement must be relevant according to the rules of Evidence Act.
(5) The recorded cassette must be carefully sealed and kept in safe or official custody.
(6) The voice of the speaker should be clearly audible and not lost or distorted by other sounds or disturbances. **(Para 32)**

Where the voices recorded at number of places, were not very clear and there was tremendous noise while the statements were being recorded and there were erasures here and there in the tape and besides the voice recorded was not very clear and the Deputy Commissioner who recorded the statements on tape clearly admitted in his evidence that he did not place the recorded cassette in proper custody, that is to say, in the official record room after duly sealing the same and instead kept the same with himself without any authority and further admitted that when the transcript of the tape recorded statements was being prepared he was temporarily absent from his office to attend to certain other works and two of the witnesses whose statements were recorded denied the identity of their voice in the cassette and the third denied a good part of his statement and the tape recorded statements did not

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

indicate the polling booth where it was recorded, the name of the person whose statement was recorded, the time of recording, etc., the tape-recorded statements of the witnesses were wholly inadmissible in evidence and, at any rate, they did not have any probative value so as to inspire any confidence. **(Paras 108 ,113)**

<u>रितेश सिन्हा विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, ए.आई. आर. 2013 एस.सी. 1132</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Constitution of India, Art.20(3)- Criminal P.C. (2 of 1974), S.165- Protection against self incrimination - Taking voice sample of accused for investigation - Does not offend Art. 20(3) - Voice sample by itself is innocuous - Does not convey information within personal knowledge of accused.** If an accused person is directed to give his voice sample during the course of investigation of an offence, there is no violation of his right under Article 20(3) of the Constitution. Voice sample is like finger print impression, signature or specimen handwriting of an accused. Like giving of a finger print impression or specimen writing by the accused for the purposes of investigation, giving of a voice sample for the purpose of investigation cannot be included in the expression 'to be a witness'. By giving voice sample the accused does not convey information based upon his personal knowledge which can incriminate him. A voice sample by itself is fully innocuous. By comparing it with tape recorded conversation, the investigator may draw his conclusion but, voice sample by itself is not a testimony at all. When an accused is asked to give voice sample, he is not giving any testimony of the nature of a personal testimony. When compared with the recorded conversation with the help of mechanical process, it may throw light on the points in controversy. It cannot be said, by any stretch of imagination that by giving voice sample, the accused conveyed any information based upon his personal knowledge and became a witness against himself. The accused by giving the voice sample merely gives 'identification data' to the investigating agency. He is not subjected to any testimonial compulsion. Thus, taking voice sample of an accused by the police during investigation is not hit by Article 20(3) of the Constitution.

<u>युशुफ अली इस्माईल नागरी विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 147</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Evidence Act (1 of 1872), S.63- Tape record- Admissibility.** If a statement is relevant an accurate tape record of the statement is also relevant and admissible. The time and place and accuracy of the recording must be proved by a competent witness and the voices must be properly

(सामान्य नागरिकों हेतु प्रतिलिपि (अशासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

identified. One of the features of magnetic tape recording is the ability to erase and re-use the recording medium. Because of this facility of erasure and reuse, the evidence must be received with caution. The court must be satisfied beyond reasonable doubt that the record has not been tampered with. **(Para 6)**

<u>अनवर पी.वी. विरूद्ध पी.के. बशीर व अन्य, ए.आई.आर. 2015 एस.सी. 180</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–Evidence Act (1 of 1872) **, S.59, S.65A, S.65B, S.63, S.65- Electronic records - Admissibility - Secondary evidence of electronic record - Inadmissible unless requirements of S. 65B are satisfied.** Proof of electronic record is a special provision introduced under the Evidence Act. The very caption of Section 65A of the Evidence Act, read with Sections 59 and 65B is sufficient to hold that the special provisions on evidence relating to electronic record shall be governed by the procedure prescribed under Section 65B of the Evidence Act. That is a complete Code in itself. Being a special law, the general law on secondary evidence under Sections 63 and 65 has to yield. An electronic record by way of secondary evidence therefore shall not be admitted in evidence unless the requirements under Section 65B are satisfied. Thus, in the case of CD, VCD, chip, etc., the same shall be accompanied by the certificate in terms of Section 65B obtained at the time of taking the document, without which, the secondary evidence pertaining to that electronic record, is inadmissible. **(Paras 19, 22)**

59– चूंकि अभियोजन की ओर से साक्ष्य के दौरान मूल डी.वी.आर. न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आर्टिकल–ए के मेमोरी कार्ड को अभियोजन प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने में विफल रहा है तथा आर्टिकल–बी की सी.डी. को न तो न्यायालय में चलाकर सुनाया गया है और न ही इसके संबंध में साक्षी अशोक खत्री (अ.सा.–02) द्वारा प्रस्तुत किया गया धारा–65 (बी) का प्रमाण पत्र दिनांक–16.06.2016 प्रदर्श पी.–19, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65(बी) (4) के अनुरूप है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रदर्श पी.–07 के पंचनामे में वर्णित ट्रांसस्क्रिप्ट स्वतः ही साक्ष्य में अग्राह्य हो जाती है। फलतः उपरोक्त विवेचना एवं वर्णित न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा आवेदक अर्जुन सिंह से दिनांक–14.06.2016 या इसके पूर्व कृषि भूमि के नामान्तरण के लिए रिश्वत की मांग की गई थी।

60– जहां तक आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि के प्रतिग्रहण का प्रश्न है ? इस संबंध में आवेदक द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि वि.पु. स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में प्रस्तुत किये जाने व उसके पश्चात की

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि, (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जाने वाली आगामी कार्यवाही के बारे में निरीक्षक दिनेश रावत (अ.सा.–07) ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि आवेदक अर्जुन सिंह से रिश्वत में दिये जाने वाले नोट प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर आवेदक ने अपने पास से 500–500/–रूपये के 20 नोट, कुल 10,000/–रूपये प्रस्तुत किये। तब उक्त नोटों को पंच अजय कुमार शर्मा को देकर उसने नंबर बोलने हेतु कहा, जिस पर अजय कुमार शर्मा ने उक्त नोटों के नंबर बोले व उसके द्वारा उक्त नंबर प्रारंभिक पंचनामें में लिखवाये गये तथा उक्त लिखवाये गये नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर से एक अलग पर्ची निकलवाकर उस पर आवेदक, दोनों पंचों तथा उसने हस्ताक्षर किये और उक्त नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर प्रिंट पर्ची को विज्ञप्त पंच डॉ. दिनकर सप्रे को अपने पास रखने हेतु दिया गया।

61– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसके द्वारा कार्यालय में पदस्थ आरक्षक तरूण बोडके से कार्यालय की अलमारी से फिनाल्फथैलीन पावडर की शीशी तथा आरक्षक शिव कुमार शर्मा से सोडियम कार्बोनेट पावडर की प्लास्टिक की बॉटल निकलवायी गयी। आरक्षक तरूण बोडके से उक्त नोटों के दोनों ओर फिनाल्फथैलीन पावडर की हल्की परत लगवायी गयी तथा आरक्षक शिव कुमार शर्मा से आवेदक के पहने हुए कपडों की तलाशी करवायी गयी, जिसमें कोई सामान नहीं रहने दिया। इसके बाद आवेदक की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में फिनाल्फथैलीन पावडर लगे 10,000/–रूपये के नोट आरक्षक तरूण बोडके से रखवाये गये तथा आवेदक को यह समझाया गया कि वह उक्त नोटों को आरोपी को देने के पूर्व हाथ न लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर उक्त नोट उसके हाथ में देवे और यह ध्यान रखे कि वह उक्त नोट कहां रखती है। उसके द्वारा आवेदक को यह भी समझाया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर ली जाने के पश्चात् आवेदक अपना बायां हाथ सिर पर फिराकर ट्रेप दल को ईशारा करे, जिससे ट्रेप दल को यह संकेत होगा कि आरोपी को रिश्वत की राशि दे दी गयी है।

62– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने आवेदक एवं विज्ञप्त पंचों को प्रदर्शन घोल की कार्यवाही समझाने के लिए आरक्षक शिव कुमार शर्मा से दो साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल तैयार करवाया गया, जो रंगहीन था। एक कटोरे के घोल में आवेदक तथा दोनों विज्ञप्त पंचों के हाथ धुलवाये गये तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल को फेंककर नष्ट कर दिया गया। दूसरे कटोरे के घोल में आरक्षक तरूण बोडके जिसने नोटों पर फिनाल्फथैलीन पावडर लगाया था उसके हाथ धुलवाये गये तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, इस घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगवाकर, बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर, उस पर आवेदक, दोनों पंचों व उसने हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात एक अलग कागज पर आवेदक, दोनों पंचों तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित चिट को उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। उक्त

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (भावार्थ) / विधिक उपयोग हेतु मान्य)

प्रदर्शन घोल की बॉटल आर्टिकल–सी है।

63– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसके द्वारा आवेदक एवं दोनों पंचों को यह बताया गया कि जब रिश्वत की राशि आरोपी अपने हाथ में लेगी तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट पावडर के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी प्रकार बदल कर गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद उसने आरक्षक तरूण बोडके से फिनाल्फथैलीन पावडर एवं आरक्षक शिव कुमार शर्मा से सोडियम कार्बोनेट पावडर की दो–दो नमूना पुडिया बनवायी तथा इन चारों पुडियों को चार अलग–अलग लिफाफों में रखकर उन चारों लिफाफों पर विवरण अंकित कर उन्हें सीलबंद किया गया। नमूना फिनाल्फथैलीन पावडर की पुडिया का सीलबंद लिफाफा प्रदर्श पी.–08 एवं नमूना सोडियम कार्बोनेट पावडर की पुडिया का सीलबंद लिफाफा प्रदर्श पी.–09 है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसके द्वारा एक अलग कागज पर कार्यालय की सील का नमूना लिया गया था जो प्रदर्श पी.–10 है। तत्पश्चात उसने आरक्षक तरूण बोडके से वह कागज जलवाकर नष्ट करवा दिया था, जिस पर उसने नोटों को रखकर फिनाल्फथैलीन पावडर लगाया था।

64– ट्रेप दल के गठन के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि तत्पश्चात उसके द्वारा ट्रेप दल का गठन किया गया था, जिसमें उसने अपने साथ, आवेदक, दोनों विज्ञप्त पंच, कार्यालय के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, आरक्षक शिव कुमार शर्मा, आरक्षक संदीप कदम, महिला आरक्षक 50 रीना शर्मा, महिला आरक्षक 1654 साधना डोम तथा सहायक ग्रेड–02 अशोक खत्री को मय लेपटॉप व प्रिंटर के शामिल किया गया। ट्रेप दल में आरक्षक तरूण बोडके जिसने नोटों पर फिनाल्फथैलीन पावडर लगाया था उसे नहीं रखा गया था।

65– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि ट्रेप पर रवाना होने से पहले उसके द्वारा आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया गया था जो रंगहीन था। उक्त घोल में आवेदक, दोनों विज्ञप्त पंच एवं ट्रेप दल के सभी सदस्यों के हाथ धुलवाये गये तो घोल का रंग नहीं बदला, घोल रंगहीन ही रहा। इसी घोल में ट्रेप बेग में ले जाये जाने वाले स्टील के कटोरे, चम्मच व प्लास्टिक की बॉटलें धुलवायी गयी तो घोल का रंग नहीं बदला। इस घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगवाकर, बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर, उस पर आवेदक, दोनों पंचों व उसने हस्ताक्षर किये, एक अलग कागज पर आवेदक, दोनों पंचों तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित चिट को उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। घोल की बॉटल आर्टिकल–एफ है।

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि, शासकीय / विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं)

66– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आवेदक एवं विज्ञप्त पंचों को ट्रेप बैग का निरीक्षण करवाया गया, जिसमें फिनाल्फथैलीन पावडर की शीशी नहीं पायी गयी। आरक्षक तरूण बोडके से फिनाल्फथैलीन पावडर की शीशी, सोडियम कार्बोनेट पावडर तथा फिनाल्फथैलीन पावडर की नमूना पुडियों के लिफाफे, प्रदर्शन घोल की बॉटल, नमूना सील का कागज, सी.डी. के लिफाफे, मेमोरी कार्ड का लिफाफा तथा ट्रेप दल के रवाना होने से पूर्व ट्रेप दल के हाथ एवं सामाग्री धुलवाने के घोल की बॉटल को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाये गये। इस समस्त कार्यवाही का उसके द्वारा आवेदक एवं दोनों विज्ञप्त पंचों के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर पर सहायक ग्रेड–2 अशोक खत्री से प्रारंभिक ट्रेप पंचनामा टाईप करवाया गया और उसकी एक प्रिंट निकालकर आवेदक, दोनों पंचों को पढकर सुनायी गयी एवं उन्हें पढने के लिए दिया, जिस पर सहमत होने से उक्त प्रारंभिक ट्रेप पंचनामें पर आवेदक, दोनों पंचों तथा उसने हस्ताक्षर किये। उक्त प्रारंभिक ट्रेप पंचनामा प्रदर्श पी.–11 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर डी से डी भाग पर उसके तथा ए से ए भाग पर आवेदक तथा बी से बी एवं सी से सी भाग पर दोनों विज्ञप्त पंचों के हस्ताक्षर हैं।

67– आगामी कार्यवाही के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 16.06.16 को वह, आवेदक, दोनों विज्ञप्त पंच एवं ट्रेप दल के सभी सदस्य दोपहर लगभग 1 बजे विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन से दो शासकीय वाहनों से रवाना होकर, दोपहर लगभग 2:45 बजे आगर पहुंचे। आगर में तहसील कार्यालय के पास नगर पालिका कार्यालय के सामने दोनों वाहनों को रोककर आवेदक अर्जुन सिंह को आवश्यक समझाईश देकर तहसील कार्यालय आगर की ओर पैदल रवाना किया। उसके पीछे हाथ पकडने वाली महिला आरक्षक क्रमांक 50 रीना शर्मा एवं क्रमांक 1654 साधना डोम तथा आरक्षक संदीप कदम को भी आवश्यक समझाईश देकर तहसील कार्यालय आगर के लिए पैदल रवाना किया गया एवं ट्रेप दल के सभी सदस्य एवं दोनों विज्ञप्त पंच उनके पीछे चलकर तहसील परिसर के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए तैनात हो गये।

68– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि कुछ देर बाद हाथ पकडने वाली दोनों महिला आरक्षकों को दौडकर तहसीलदार के कक्ष के अंदर जाते देखा तो वह, दोनों विज्ञप्त पंच एवं ट्रेप दल के सभी सदस्य तेजी से चलकर तहसीलदार के कक्ष में पहुंचे और देखा कि कुर्सी पर बैठी हुई एक महिला का दोनों महिला आरक्षक कलाई के पास से हाथ पकडे हुए खडी थी। उस महिला का बांया हाथ आरक्षक रीना शर्मा ने एवं दाहिना हाथ आरक्षक साधना डोम ने कलाई के पास से पकड रखा था। इसके बाद उसने उस हाथ पकडी हुई महिला को अपना एवं विज्ञप्त पंचों तथा ट्रेप दल का परिचय दिया तथा उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम रेखा माली पति किशोर माली, पिता मदनलाल माली, पटवारी हल्का नंबर 02, मोहडिया तहसील–आगर का होना बताया।

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

69– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया, जो रंगहीन था। उक्त घोल में आरोपी रेखा माली के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगाकर, बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच व उसने हस्ताक्षर किये। इसके बाद एक अलग कागज पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा उसके हस्ताक्षर की हस्ताक्षरित चिट उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। आरोपी के हाथ धुलवाने के घोल की बॉटल आर्टिकल–डी है।

70– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया, जो रंगहीन था। उक्त घोल में आवेदक अर्जुन सिंह के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगाकर, बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच व उसने हस्ताक्षर किये। इसके बाद एक अलग कागज पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा उसके हस्ताक्षर की हस्ताक्षरित चिट उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। आवेदक अर्जुन सिंह के हाथ धुलवाने के घोल की बॉटल आर्टिकल–जी है।

71– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में साफ पानी में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया, जो रंगहीन था। उक्त घोल में विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, रंगहीन ही रहा। उक्त घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगाकर, बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच व उसने हस्ताक्षर किये। इसके बाद एक अलग कागज पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा उसके हस्ताक्षर की हस्ताक्षरित चिट उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा के रिश्वत के नोट गिनने के पूर्व हाथ धुलवाने के घोल की बॉटल आर्टिकल–एच है।

72– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा से कहा कि वह आरोपी रेखा माली पटवारी से पूछे कि आवेदक से ली गयी रिश्वत की राशि

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक प्रयोग हेतु अमान्य)

कहां रखी है। तब विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा ने पूछा तो आरोपी रेखा माली ने यह बताया कि उसने अर्जुन सिंह गुर्जर से 10,000/—रूपये अपने हाथ में लेकर, अपने हैंडबैग के अंदर रख लिये हैं। उसके कहने पर विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा ने आरोपी जिस कुर्सी पर बैठी थी उसके सामने रखी टेबल पर रखे हुए कत्थई कलर के हैंडबैग को खोलकर उसमें रखे हुए रूपये निकाले और गिने तो 500—500/—रूपये के 20 नोट कुल 10,000/—रूपये निकले। विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा द्वारा उन नोटों के नंबर बोले जाने पर उसके द्वारा पंचनामें में लिखवाये गये। उक्त नोटों के नंबरों का मिलान विज्ञप्त पंच डॉ. दिनकर सप्रे के पास रखवायी गयी नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर प्रिंट तथा उसके द्वारा प्रारंभिक ट्रेप पंचनामें में दर्ज नोटों के नंबरों से किया गया, तो मिलान सही पाया गया।

73— आगामी कार्यवाही के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह बताया है कि तब उसने उक्त नोटों तथा विज्ञप्त पंच डॉ. दिनकर सप्रे के पास की नोटों के नंबर लिखी कम्प्यूटर प्रिंट पर्ची को विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा से एक लिफाफे में रखवाया गया और उक्त लिफाफे पर विवरण अंकित कर उस लिफाफे को सील चपडी से सीलबंद किया गया तथा लिफाफे पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच व उसने हस्ताक्षर किये। उक्त लिफाफा प्रदर्श पी.—12 है तथा उक्त लिफाफे के अंदर नोटों के नंबरों की कम्प्यूटर प्रिंट पर्ची प्रदर्श पी.—13 है।

74— निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया, जो रंगहीन था। उक्त घोल में विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा के दोनों हाथों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगाकर, बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच व उसने हस्ताक्षर किये। इसके बाद एक अलग कागज पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा उसके हस्ताक्षर की हस्ताक्षरित चिट उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा द्वारा रिश्वत के नोट गिनने के बाद हाथ धुलवाने के घोल की बॉटल आर्टिकल—ई है।

75— निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद उसने आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ स्टील के कटोरे में साफ पानी में सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल बनवाया, घोल रंगहीन था। विज्ञप्त पंच डॉ. दिनकर सप्रे से आरोपी रेखा माली के कत्थई कलर के हैंड बैग के उस स्थान को जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस स्थान को उलटवाकर, बनाये गये घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को आरक्षक शिव कुमार शर्मा से एक साफ प्लास्टिक की बॉटल में भरवाकर, बॉटल पर ढक्कन लगाकर,

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (अशासकीय/वैधिक उपयोग हेतु अमान्य)

बॉटल पर घोल विवरण चिट चस्पा कर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच व उसने हस्ताक्षर किये। इसके बाद एक अलग कागज पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा उसके हस्ताक्षर की हस्ताक्षरित चिट उक्त प्लास्टिक की बॉटल के ढक्कन पर रखवाकर ढक्कन को विधिवत सील चपडी से सीलबंद किया गया। विज्ञप्त पंच डॉ. दिनकर सप्रे से आरोपी रेखा माली के कत्थई कलर के हैंड बैग के उस स्थान को जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस स्थान को उलटवाकर, बनाये गये घोल में डुबोकर धुलवाये जाने के घोल की बॉटल आर्टिकल–आई है। उक्त बैग आर्टिकल–जे है।

76– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी के कत्थई कलर के उक्त हैंड बैग आर्टिकल–जे को एक कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सुई धागे से सिलकर उस पर विवरण अंकित कर आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच, आवेदक तथा उसने हस्ताक्षर किये थे तथा उक्त कपडे की थैली को सील चपडी से सीलबंद किया था। उक्त आर्टिकल–जे जिस कपडे की थैली में रखा गया था वह कपडे की थैली आर्टिकल–के है।

77– मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में बनाये गये ट्रेप पंचनामे के बारे में निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने उपरोक्त की गयी कार्यवाही का ट्रेप एवं जप्ती पंचनामा मौके पर साथ लाये गये लेपटॉप पर सहायक ग्रेड–02 अशोक खत्री से टाईप करवाया एवं साथ लाये गये प्रिंटर से प्रिंट निकलवाकर आवेदक, आरोपी रेखा माली, दोनों विज्ञप्त पंचों को पढने दिया, विवरण सही लेख होने पर उक्त ट्रेप एवं जप्ती पंचनामे पर आवेदक, आरोपी, दोनों विज्ञप्त पंच तथा उसने हस्ताक्षर किये। उक्त ट्रेप एवं जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.–14 है जिसके डी से डी भाग पर उसके, ई से ई भाग पर आरोपी रेखा माली, ए से ए भाग पर आवेदक तथा बी से बी एवं सी से सी भाग पर दोनों विज्ञप्त पंचों के हस्ताक्षर हैं।

78– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 16.06.16 को 16:30 बजे तहसील कार्यालय आगर में बस्ते में से आरोपी रेखा माली द्वारा निकालकर पेश करने पर विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा एवं डॉ. दिनकर सप्रे के समक्ष उसने भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नंबर–684153 जिसमें खातेदार, जिसका नाम लक्ष्मण सिंह पिता गुलाब सिंह, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नंबर–684155 जिसमें खातेदार का नाम शिवलाल, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नंबर–684156 जिसमें खातेदार का नाम दुर्गेश, अभिषेक, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नंबर–684154 जिसमें खातेदार का नाम भगवान सिंह पिता गुलाब सिंह, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नंबर–684157 जिसमें खातेदार का नाम भगवान सिंह पिता लक्ष्मण, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका नंबर–684152 जिसमें खातेदार का नाम श्रवण कुमार आदि को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.–15 बनाया था। जप्त की गयी भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं))

कुल नग–06 आर्टिकल–''एल लगायत क्यू'' हैं।

79– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि इसके बाद दिनांक 16.06.16 को ही उसने विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा एवं डॉ. दिनकर सप्रे के समक्ष 16:40 बजे तहसील कार्यालय आगर मालवा में आरोपी रेखा माली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.–24 बनाया था तथा आरोपी को 25,000/–रूपये की जमानत मुचलके पर छोडा गया था। तत्पश्चात विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा और डॉ. दिनकर सप्रे तथा आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर के समक्ष उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी.–16 बनाया था।

80– ट्रेप दल के सदस्य वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में पदस्थ आरक्षक संदीप कदम (अ.सा.–03) व आरक्षक साधना डोम (अ.सा.–06) ने अपने कथन में ट्रेप कार्यवाही का समर्थन किया है एवं वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में पदस्थ सहायक ग्रेड–2 अशोक खत्री (अ.सा.–02) ने भी अपने कथन में निरीक्षक दिनेश रावत के बोलने पर प्रारंभिक ट्रेप पंचनामा तथा मौके पर ट्रेप एवं जप्ती पंचनामा तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–19 भी प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया है।

81– ट्रेप कार्यवाही के संबंध में आवेदक अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) ने निरीक्षक दिनेश रावत के कथन का पूर्ण समर्थन नहीं किया है। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा–14 में 10 हजार रूपये लोकायुक्त कार्यालय में निरीक्षक दिनेश रावत के समक्ष प्रस्तुत करना बताया है तथा लोकायुक्त कार्यालय के कर्मचारी द्वारा उक्त नोटों पर एक केमिकल लगाया जाना भी बताया है। आवेदक ने प्रदर्शन घोल की कार्यवाही गवाहों के समक्ष किये जाने का समर्थन किया है तथा उक्त घोल की शीशी आर्टिकल–सी पर चस्पा चिट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। ट्रेप दल के रवाना होने के संबंध में आवेदक ने अपने कथन में यह बताया है कि दोनों बुलाये गये पंच श्री दिनकर सप्रे और अजय शर्मा व दोनों महिला आरक्षक तथा दिनेश रावत तथा एक टायपिस्ट, एक व्यक्ति घोल बनाने वाला, संदीप कदम तथा दो ड्रायवर के साथ दो गाडियों में करीब 1 बजे वह लोकायुक्त कार्यालय से आगर के लिए निकले थे तथा करीब तीन–पौने तीन बजे के लगभग आगर पहुंच गए थे।

82– किन्तु आरोपी को रिश्वत राशि की अदायगी के संबंध में आवेदक ने अपने कथन में यह बताया है कि जब वह तहसील कार्यालय में रेखा पटवारी को देखने गया तो वहां 2–3 गाडिया कहीं नपती करने जाने के लिए खडी थी। रेखा पटवारी भी उक्त गाडी में बीच वाली सीट पर बैठी हुई थी, तब उसने रेखा पटवारी के पास जाकर कहा था कि उससे जो बात हुई थी, वो रूपये वह लेकर आया है। <u>पर रेखा पटवारी ने उससे कहा कि वह पैसे नहीं ले रही। इसके बाद उसने रेखा पटवारी के पास जो बैग सीट</u>

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

पर रखा था उसमें पैसे रख दिये थे, और निर्धारित ईशारा किया था तब दोनों महिला आरक्षक दौडती हुई आयी और रेखा पटवारी के दोनों हाथों की कलाईया पकडकर उसे गाडी से उतारकर तहसील कार्यालय के अंदर ले गई थी। इसी दौरान लोकायुक्त की टीम भी वहां आ गई थी।

83— अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आवेदक ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी रेखा माली के मांगने पर उसके द्वारा रिश्वत के 10 हजार रूपये आरोपी को दिये गये थे, तब आरोपी उक्त रिश्वत राशि 10 हजार रूपये लेकर उसके हेण्ड बैग में रख ली थी। आवेदक ने अपने कथन प्रदर्श पी.–18 में भी डी. से डी भाग पर उक्त बात पुलिस को लिखाये जाने से इंकार किया है।

84— प्रतिपरीक्षण के पैरा–51 में आवेदक ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने रेखा माली को गाडी में बैठी हुई अवस्था में पैसे देने के लिए कहा तो उसने पैसे लेने से इंकार कर दिया था। उक्त गाड़ी में अन्य दो महिलाएं भी रेखा माली के पास बैठी थी। उन महिलाओं के बीच में जो बैग रखा था उसमें उसने पैसे रखे थे। इसके बाद जीप से उतारकर रेखा माली को तहसील कार्यालय ले जाया जाकर कुर्सी पर बैठाया गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा–52 में आवेदक ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि जिस बैग को लोकायुक्त पुलिस वालों ने जप्त किया था, उस बैग को वह इसलिए आरोपी रेखा माली का बैग कह रहा है क्योंकि लोकायुक्त पुलिस द्वारा उक्त बैग रेखा माली का बताकर जप्त किया गया था। उक्त बैग को खोलने पर उसमें आरोपी की पहचान का कोई सामान नहीं निकला था। उक्त पैरा में आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी रेखा माली ने उससे कभी भी कोई रिश्वत की मांग नही की थी तथा घटना दिनांक को भी आरोपी ने उससे रूपये लेने से इंकार कर दिया था।

85— विज्ञप्त साक्षी अजय कुमार शर्मा (अ.सा.–05) ने संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत (अ.सा.–07) के कथन का समर्थन किया है तथा अन्य कार्यवाही व पंचनामों के साथ ही प्रदर्श पी.–14 का ट्रेप एवं जप्ती पंचनामा उसके समक्ष बनाया जाना व उन पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। साक्षी अजय कुमार शर्मा ने आरोपी रेखा माली को दी गई रिश्वत राशि की बरामदगी के संबंध में भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि निरीक्षक दिनेश रावत के कहने पर उसने आरोपी से रिश्वत के रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी द्वारा टेबल पर रखे बैग में उक्त रूपये होना बताये गये, तब उसने उक्त बैग से 10 हजार रूपये निकाले व उक्त नोटों के नंबरों को दिनकर सप्रे के पास रखे नंबरों की पर्ची व प्रारंभिक ट्रेप पंचनामे में लिखे नंबरों से मिलाया गया तो उक्त नोटों के नंबर वही पाये गये जो नोटों के नंबरों की पर्ची प्रदर्श पी.–13 व प्रारंभिक ट्रेप पंचनामे में वर्णित थे। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि निरीक्षक दिनेश रावत ने कार्यवाही स्थल का मानचित्र भी बनाया था, जो प्रदर्श पी.–16 है।

86– प्रतिपरीक्षण के पैरा–42 में साक्षी अजय कुमार शर्मा ने यह व्यक्त किया है कि उसने सर्वप्रथम आरोपी को तहसील कार्यालय में तहसीलदार के कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुए देखा था, उसे यह नहीं मालूम है कि दोनों महिला आरक्षक आरोपी को किस स्थान से पकडकर कुर्सी तक लायी थीं। प्रतिपरीक्षण के पैरा–43 में साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि जब वे लोग तहसीलदार के कक्ष में पहुंचे थे, उस समय आर्टिकल–जे का बैग टेबल पर रखा हुआ था। आर्टिकल–जे के बैग में दूषित करेंसी नोट के अलावा और क्या–क्या सामान निकला था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। ऐसी कोई सामग्री बैग से नहीं निकली थी, जिससे यह प्रतीत हो कि उक्त बैग आरोपी रेखा माली का है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि तहसीलदार के कक्ष में जब कार्यवाही हो रही थी, तब लोग ऐसा कह रहे थे कि आरोपी को जीप में से उतारकर लाये हैं, आरोपी स्वयं भी यह कह रही थी कि उसे जीप में से उतारकर लाया गया है।

87– प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने के संबंध में निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा–13 में यह व्यक्त किया है कि उसने आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं रिकॉर्डेड वार्ता के आधार पर शून्य पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक–0/12/2016 धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रदर्श पी.–40 दर्ज किया था। तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट, असल अपराध पंजीबद्ध करने हेतु विपुस्था लोकायुक्त भोपाल भेजी गयी थी, जिसके आधार पर असल अपराध क्रमांक–0198/2016 पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–41 है, जिसके ए से ए भाग पर नीरज राठौर व बी से बी भाग पर थाना प्रभारी सतीश कुमार वर्मा, डी.एस.पी. विपुस्था लोकायुक्त भोपाल के हस्ताक्षर हैं, जिन्हे वह पहचानता है। अपराध क्रमांक–0/12/2016 की न्यायालय को भेजी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति प्रपी–43 एवं असल अपराध क्रमांक–198/2016 की भेजी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति प्रपी–44 है।

88– निरीक्षक दिनेश रावत ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के पत्र क्रमांक–1769/पु.अ./विपुस्था/2016 उज्जैन दिनांक–17.06.16 के माध्यम से प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल, रासायनिक परीक्षण एवं अभिमत हेतु प्रभारी अधिकारी क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट, राउ इंदौर को आरक्षक संदीप राव एवं आरक्षक तरूण बोडके के हस्ते संलग्न कर पहुंचाया गया था। उक्त ड्राफ्ट प्रपी–45 है, आरक्षक तरूण बोडके और आरक्षक संदीप का कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रपी–46 है तथा क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट, राउ इंदौर को उक्त ड्राफ्ट एवं मुद्देमाल प्राप्त होने की रसीद प्रपी–47 है। उसके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया धारा–65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रपी–48 है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के आदेश क्रमांक–1792/2016 दिनांक 20.06.16 प्रदर्श पी.–49 के माध्यम से प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु निरीक्षक कमल निगवाल को सुपुर्द किया गया था।

89– प्रकरण की आगामी विवेचना के संबंध में निरीक्षक कमल निगवाल (अ.सा.–08) ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि प्रपी–45 के ड्राफ्ट के माध्यम से एफ0एस0एल0 जांच हेतु भेजा गया मुद्देमाल मय एफ0एस0एल0 जांच रिपोर्ट के दिनांक 22.06.2016 को प्राप्त हुआ था, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रपी–50 है तथा परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी–51 है। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाने के संबंध में निरीक्षक कमल निगवाल ने अपने कथन में यह बताया है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 27.06.2016 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उसने आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर, आरक्षक संदीप कदम, आरक्षक शिव कुमार शर्मा के कथन, तत्पश्चात दिनांक 28.06.2016 को महिला आरक्षक रीना शर्मा, साधना डोम, आरक्षक तरूण बोडके के कथन एवं दिनांक 29.06.2016 को विज्ञप्त पंच अजय कुमार शर्मा व डॉ0 दिनकर सप्रे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

90– प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि विवेचना के दौरान निरीक्षक कमल निगवाल द्वारा आरोपी को दिनांक–12.07.2016 को प्रदर्श पी.–59 का सूचना पत्र अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु दिया गया था, जिसके आधार पर आरोपी द्वारा दिनांक–15.07.2016 को प्रदर्श पी.–60 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। अपने अभ्यावेदन में आरोपी ने उसे आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा असत्य रूप से रिश्वत के आरोप में फसाया जाना व्यक्त किया है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में भी आरोपी ने यह व्यक्त किया है कि उसके समक्ष आवेदक का कोई कार्य लंबित नहीं था। आवेदक द्वारा नामान्तरण हेतु कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही उसे नामान्तरण व बटवारे का कोई अधिकार है। दिनांक–16.06.2016 को भी वह तहसीलदार श्री पाण्डे के निर्देश पर सुजलान कंपनी के विन्ड फार्म के रास्ते को ग्रामीणों द्वारा रोक दिये जाने के विवाद को सुलझाने के लिए कम्पनी की जीप में बैठकर जाने वाली थी, तब अचानक एक व्यक्ति द्वारा उसे रूपये देने की कोशिश की गई, जब उसके द्वारा उक्त रूपये नहीं लिये गये, तब उक्त जीप में रखे एक बैग में जबरन रूपये रख दिये गये। प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल–जे का बैग उसका नहीं है। प्रदर्श पी.–15 के जप्ती पंचनामे में वर्णित भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी उससे जप्त नहीं हुई हैं, बल्कि तहसीलदार की किसी अलमारी से जप्त हुई हैं। उसे प्रकरण में षडयंत्रपूर्वक फसाया गया है।

91– लिखित तर्क में भी आरोपी की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि स्वयं आवेदक ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा उससे कभी भी कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई थी तथा घटना दिनांक को भी आरोपी ने उससे रूपये लेने से इंकार कर दिया था, तब उसके द्वारा जीप में रखे एक बैग में रूपये रख दिये गये थे। प्रकरण में जिस बैग में रूपये रखे गये थे, उक्त बैग से आरोपी का कोई संबंध होना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। अभियोजन साक्षी नित्यानन्द पाण्डे (अ.सा.–04) व अजय कुमार शर्मा (अ.सा.–05) व आवेदक

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

के कथनों से यह स्पष्ट है कि आरोपी को तहसीलदार कार्यालय के बाहर खड़ी हुई जीप से जबरन उठाकर तहसील कार्यालय में लाया गया था एवं आरोपी के विरूद्ध असत्य रूप से रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की गई है। मौके पर संपूर्ण कार्यवाही प्रकरण के विवेचक दिनेश रावत (अ.सा.–07) द्वारा न करते हुए निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा की गई है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श डी.–01 के समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो से भी होती है। मौके पर उपस्थित बचाव साक्षियों के कथन से भी आरोपी की निर्दोषिता प्रमाणित होती है। अतः आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

92— आरोपी की ओर से बचाव में शंकरलाल (ब.सा.–01) एवं गायत्री राजौरा (ब.सा.–02) का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है। साक्षी शंकरलाल ने अपने कथन में यह बताया है कि वह वर्ष 1990 से तहसीलदार कार्यालय आगर में वाटर मैन के पद पर पदस्थ है। दिनांक–16.06.2016 को वह अपने कार्य पर उपस्थित होकर तहसील कार्यालय के बाहर अपनी ड्यूटी पर बैठा था। इसी दौरान दोपहर लगभग ढाई–तीन बजे तहसील कार्यालय के प्रांगण में एक जीप खड़ी थी, जिसमें आरोपी रेखा माली बैठी थी तथा दो–तीन अन्य महिलाएं भी बैठी थीं, जिन्हें वह नहीं जानता है। इसी बीच एक महिला, रेखा माली का हाथ पकड़कर खींचकर तहसीलदार के कक्ष में लेकर आयी, उसके पीछे पॉच–छः अन्य लोग भी भागकर तहसील न्यायालय के अंदर आ गये। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जिस जीप में आरोपी रेखा माली बैठी थी, उसमें से एक व्यक्ति एक बैग लेकर आया और उसने वह बैग उस टेबल के सामने रख दिया, जिस टेबल के सामने आरोपी को तहसीलदार के कक्ष में उस महिला ने बिठाया था। उसे यह बताया गया कि वह लोकायुक्त वाले हैं, उन्होने उसे बाद में तहसीलदार कक्ष से बाहर कर दिया था।

93— साक्षी गायत्री राजौरा ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि दिनांक–16.06.2016 को वह तथा रेखा माली तहसीलदार के समक्ष तहसील आगर में उपस्थित हुई थीं। तहसीलदार नित्यानंद पाण्डे द्वारा रेखा माली को सुजलान कंपनी की भूमि के सीमांकन के लिए ग्राम महूड़िया जाने के लिए आदेश दिया गया था। रेखा माली सुजलान कंपनी की गाड़ी में सीमांकन के लिए जा रही थी, इसी दौरान एक महिला, रेखा माली का हाथ पकड़कर उसे तहसीलदार के कक्ष में ले गई। उसके साथ लोकायुक्त के लोग भी थे। बाद में लोकायुक्त वालों ने रेखा माली को तहसीलदार के कमरे में बैठा लिया और उन्हें वहां से बाहर कर दिया।

94— अभियोजन की ओर से उपरोक्त दोनों ही साक्षियों की विश्वसनीयता पर आक्षेप करते हुए उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया गया है, किन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तहसील कार्यालय के हाजरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी.–02 एवं सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी प्रदर्श डी.–05 के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि साक्षी शंकरलाल देवड़ा (ब.सा.–01) दिनांक–16.06.2016 को तहसील कार्यालय आगर में अपने कार्य पर कार्यालयीन समय में उपस्थित

(सामान्य/सारांश/शासकीय/व्यक्तिक उपयोग हेतु प्रकाशित)

रहा है। साक्षी गायत्री राजौरा (ब.सा.–02), आरोपी रेखा माली की बहन है तथा स्वयं भी पटवारी है। उसके द्वारा घटना दिनांक–16.06.2016 को मौके पर ही आरोपी की जमानत ली गई है, अतः उसकी उपस्थिति भी प्रमाणित है। उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे उनके कथन पर कोई अविश्वास किया जा सके।

95– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुन्शीप्रसाद व अन्य विरूद्ध बिहार राज्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 3031** के मामले के पैरा–03 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि The defence - witnesses are entitled to equal respect and treatment as that of the prosecution. The issue of credibility and the trustworthiness ought also to be attributed to the defence witnesses at par with that of the prosecution - a lapse on the part of the defence witness cannot be differentiated and be treated differently than that of the prosecutors' witnesses.

96– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने आरोपी के कथित बैग आर्टिकल–जे से रिश्वत राशि 10,000/–रूपये की बरामदगी होना बताया है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि आर्टिकल–जे के बैग से बरामद हुए रूपये वही हैं, जिनका उल्लेख प्रारंभिक ट्रेप पंचनामे प्रदर्श पी.–11 एवं कम्प्यूटर प्रिन्ट पर्ची प्रदर्श पी.–13 में है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह वही राशि है जिसे रिश्वत के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट, राउ इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक–17.06.2016 प्रदर्श पी.–51 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आरोपी रेखा माली के हाथ धुलवाने का घोल, साक्ष्य में प्रदर्शित शीशी आर्टिकल–डी एवं आर्टिकल–जे के बैग के उस स्थान के घोल की शीशी जिस स्थान से रिश्वत की राशि बरामद हुई थी, आर्टिकल–आई में फिनाल्फथैलीन की उपस्थिति धनात्मक है।

97– किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उपर की गई विवेचना में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में रिश्वत की राशि की मांग प्रमाणित नहीं हुई है, जबकि आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर (अ.सा.–01) ने स्वयं अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी को तहसील कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ी में रिश्वत राशि दिये जाने का प्रयास किया गया था, तब आरोपी ने रूपये लेने से इंकार कर दिया था, उसके बाद उसने उक्त राशि गाड़ी में रखे बैग में रख दी थी। बचाव साक्षी शंकरलाल देवड़ा एवं गायत्री राजौरा ने भी अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी को जीप से उतारकर तहसील कार्यालय में लाया गया था, वह सुजलान कंपनी की गाड़ी में बैठकर सीमांकन के लिए जाने वाली थी। साक्षी शंकरलाल देवड़ा ने यह भी बताया है कि उक्त जीप से ही एक व्यक्ति बैग उठाकर लाया था और उसने उक्त बैग को तहसील कार्यालय में टेबल पर आरोपी के सामने रख दिया था।

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य))

98– बचाव साक्षियों के उक्त कथन की पुष्टि स्वयं अभियोजन के ही साक्षी नित्यानन्द पाण्डे (अ.सा.–04) द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई इस स्वीकारोक्ति से भी होती है कि उसने सुजलान कंपनी की जीप में कम्पनी के अधिकारियों के साथ दोनों पटवारी एवं आर.आई. को जॉच के लिए घटना दिनांक को ही भेजा था। उक्त दिनांक को ही उसे यह भी पता चला था कि तहसील परिसर में जीप में बैठी हुई पटवारी (आरोपी) को ट्रेप किया गया है। विज्ञप्त साक्षी अजय कुमार शर्मा ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–43 में यह व्यक्त किया है कि तहसीलदार कक्ष में जब कार्यवाही हो रही थी, तब लोग यह कह रहे थे कि आरोपी को जीप से उतारकर लाया गया है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि स्वयं आरोपी ने भी यह कहा था कि उसे जीप से उतारकर लाया गया है तथा यह भी कहा था कि उक्त बैग उसका नहीं है तथा आर्टिकल– जे के बैग में जो भी सामान निकला था, उसमें केवल दूषित नोट ही जप्त किये गये थे।

99– उपरोक्त परिस्थितियों में बचाव साक्षियों के कथन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है तथा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है कि आर्टिकल–जे का बैग आरोपी के आधिपत्य का था। साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हुआ है कि आरोपी को जीप से उतारकर तहसीलदार के कक्ष में लाया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने स्वैच्छया रिश्वत राशि का प्रतिग्रहण किया।

100– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सी.एम. गिरीश बाबू विरूद्ध सी.बी.आई. कोचीन, केरला उच्च न्यायालय, ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 2022** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.7- Acceptance of gratification - Proof - Circumstances in their totality not establishing that appellant-accused accepted amount of Rs.1500/- as gratification - He claimed that he was made to believe that amount paid to him was towards repayment of loan taken by prosecution witness from another accused - Appellant proved his case by test of preponderance of probability - Thus, prosecution failed in establishing guilt of accused beyond reasonable doubt - Conviction of accused liable to be set aside. (Paras 21, 22, 23)**

101– **टी. सुब्रामणियम विरूद्ध तमिलनाडू राज्य ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 836** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Prevention of Corruption Act (2 of 1947), S.5(1)(d)- Illegal gratification - Proof - Accused alleged to have received bribe amount of Rs. 200/- for securing patta in favour of complainant - Recovery of marked currency notes from accused proved - Defence plea that money was given by**

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

complainant on behalf of witness towards lease rent due appears plausible - Complainant proved to be inimical towards accused - Explanation given by accused immediately after incident raises serious doubt about amount having been received by him as illegal gratification - Mere denial by said witness that he had sent money through complainant cannot be a ground to hold accused guilty - <u>Guilt of accused not proved beyond reasonable doubt - Accused is entitled to acquittal. (Paras 9, 10, 11)</u>

102– <u>**पंजाबराव विरूद्ध महाराष्ट्र, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 486**</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Prevention of Corruption Act (2 of 1947), S.5- Illegal gratification - Explanation given by accused for receipt of - Need not be proved by him beyond reasonable doubt - He can establish his defence by preponderance of probability. (Para 3)**

103– वैसे भी केवल रिश्वत राशि बरामदगी के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना व रिश्वत राशि प्राप्त किया जाना प्रमाणित होने पर ही दोषसिद्धी अभिनिर्धारित की जा सकती है। इस संबंध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय हैं :–

<u>**पी. सत्यनारायण मूर्ति विरूद्ध जिला पुलिस निरीक्षक व अन्य, 2015 CRI. L. J. 4670**</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा–21 व 22 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– The proof of demand of illegal gratification, is the gravamen of the offence under Ss. 7 and 13(1) (d)(i) and (ii) and in absence thereof, unmistakably the charge therefor, would fail. Mere acceptance of any amount allegedly by way of illegal gratification or recovery thereof, dehors the proof of demand, ipso facto, would thus not be sufficient to bring home the charge under these two sections of the Act. As a corollary, failure of the prosecution to prove the demand for illegal gratification would be fatal and mere recovery of the amount from the person accused of the offence under Ss. 7 or 13 of the Act would not entail his conviction thereunder.

<u>**कृष्ण चंदर विरूद्ध दिल्ली राज्य, AIR 2016 SUPREME COURT 298**</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– <u>Prevention of Corruption Act (49 of 1988)</u>, S.7, S.13(1)(d)- Evidence Act (1 of 1872), S.145- <u>Criminal P.C. (2 of 1974)</u>, S.162- Bribe - Demand and acceptance of - Is sine qua non for constituting offence under Ss. 7 and 13 (1)(d) - Accused police constable alleged to have demanded bribe for releasing brother of complainant on bail - Complainant turning

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि, शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

hostile on point of demand and acceptance of bribe by accused police constable - Panch witness did not hear conversation between accused and complainant at time when complainant had approached him to give bribe money - Investigating officer's evidence silent as to contents of statement of complainant recorded under S. 161 Cr. P. C.- Contradictory statements made by complainant regarding demand in cross-examination not proved by examining Investigating officer - Factum of demand not proved - Conviction set aside. (Paras 28 29 30 36 37)

सी. सुकुमारन विरूद्ध केरल राज्य 2015 CRI. L. J. 1715 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–(A) Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.13(1) (d), S.7- Illegal gratification - Demand of illegal gratification by accused is sine qua non for constituting an offence under Act - Burden to prove accusation against accused offence with regard to acceptance of illegal gratification from complainant lies on prosecution. (Para 13)

(B) Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.7, S.13- Illegal gratification - Proof - Trap case - Accused, station writer allegedly demanded Rs. 1,500/- as bribe from complainant for returning articles which were seized by police - No evidence showing that accused was person who had demanded and accepted bribe from complainant - Since complainant has turned hostile, neither the demand aspect nor acceptance of bribe money can be verified from any other witnesses - Prosecution failed to prove demand and acceptance of bribe money by accused - Explanation that colour could have faded by lapse of time and therefore, hand of accused did not show pink colour when dipped in lime solution - Cannot be accepted in view of fact that colour of other samples taken by Investigation Officer continued to retain pink colour even after completion of trap laid against accused - Guilt of accused not proved beyond all reasonable doubt - Conviction of accused, not proper. (Paras 16, 17, 18, 19, 20)

व्ही.सेजप्पा विरूद्ध राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक लोकायुक्त, चित्रदुर्ग AIR 2016 SUPREME COURT 2045 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.7, S.20- Demand of bribe - Purpose of payment of bribe amount - Appellant alleged to have demanded bribe for forwarding pension papers of complainant - Prosecution witness, in cross-examination, denied suggestion that appellant demanded and accepted bribe amount for said purpose - Rather stated that amount was in lieu of amount which appellant had borrowed from complainant - Said witness declared hostile - Casts doubt about acceptance of illegal

gratification and the prosecution case - Mere recovery of tainted money - Not sufficient to draw presumption u/S. 20 - Appellant entitled to be acquitted. (Paras 16, 17, 18)

<u>ए. सुबैर विरूद्ध केरल राज्य 2009 CRI. L. J. 3450</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.7, S.13(1)(d), S.13(2), S.20- Illegal gratification - Demand and acceptance - Proof - Appellant, a Clerk at Regional Transport Office, allegedly demanded bribe for delivery of Driving Licence - Non-examination of complainant in Court - No explanation given by Investigating Officer - Best evidence to prove demand was not produced - Evidence of two independent witnesses was unreliable - No presumption u/S.20 could be drawn - Mere recovery of currency notes is not sufficient proof of demand and acceptance - Conviction of appellant is improper. **(Paras 12, 13, 15, 18, 22, 23)**

<u>बी. जयराज विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, 2014 CRI. L. J. 2433</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा–08 एवं 09 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–In the present case, the complainant did not support the prosecution case inso- far as demand by the accused is concerned. The prosecution has not examined any other witness, present at the time when the money was allegedly handed over to the accused by the complainant, to prove that the same was pursuant to any demand made by the accused. When the complainant himself had disowned what he had stated in the initial complaint (Exbt. P-11) before LW-9, and there is no other evidence to prove that the accused had made any demand, the evidence of PW-1 and the contents of Exhibit P-11 cannot be relied upon to come to the conclusion that the above material furnishes proof of the demand allegedly made by the accused. We are, therefore, inclined to hold that the learned trial court as well as the High Court was not correct in holding the demand alleged to be made by the accused as proved. The only other material available is the recovery of the tainted currency notes from the possession of the accused. In fact such possession is admitted by the accused himself. Mere possession and recovery of the currency notes from the accused without proof of demand will not bring home the offence under Section 7. The above also will be conclusive insofar as the offence under Section 13(1)(d)(i)(ii) is concerned as in the absence of any proof of demand for illegal gratification, the use of corrupt or illegal means or abuse of position as a public servant to obtain any valuable thing or pecuniary advantage cannot be held to be established.

Insofar as the presumption permissible to be drawn under Section 20 of the Act is concerned, such presumption can

only be in respect of the offence under Section 7 and not the offences under Section 13(1)(d)(i)(ii) of the Act. In any event, it is only on proof of acceptance of illegal gratification that presumption can be drawn under Section 20 of the Act that such gratification was received for doing or forbearing to do any official act. Proof of acceptance of illegal gratification can follow only if there is proof of demand. As the same is lacking in the present case the primary facts on the basis of which the legal presumption under Section 20 can be drawn are wholly absent.

सी.एम. शर्मा विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 608 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Prevention of Corruption Act (2 of 1947), S.7, S.13- Demand of illegal gratification - And voluntary acceptance thereof - Demand of illegal gratification is sine qua non to constitute offence under Act - Mere recovery of currency notes itself does not constitute offence under Act, unless it is proved beyond all reasonable doubt that the accused voluntarily accepted money knowing it to be bribe.**

मुख्तियार सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 3382 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.7, S.13(2)- Illegal gratification - Demand and acceptance of - Proof - Bald allegations that accused, SHO accepted Rs. 3,000/- to favour complainant in investigation and further demanded Rs. 2,000/- on day of trap operation - Evidence regarding demand of illegal gratification inadequate - Date or time of first demand/payment not mentioned - Nor person in whose presence it was paid, was produced either in investigation or at trial - Evidence of complainant and shadow witness contradictory with regard to location of transaction relating to demand of Rs. 2,000/- - Unusual that bribe amount placed casually in card board box on table instead of being kept with complainant - Guilt of accused not proved beyond reasonable doubt -Conviction of accused, set aside. (Paras 25, 26, 27)**

मुकुट बिहारी व अन्य विरूद्ध राजस्थान राज्य, ए.आई. आर. 2012 एस.सी. 2270 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– Prevention of Corruption Act (49 of 1988)**, S.7, S.13- Corruption - Demand of illegal gratification - Sine qua non for constituting offence - Mere recovery of tainted money - Not by itself sufficient to convict accused - But burden lies on accused to establish that money was accepted other than as motive or reward - Recovery of tainted money**

(श्यामला न्यायालय दस्तावेज़ी अनुवाद / विधिक उपयोग हेतु मान्य)

from accused proved - Accused unable to substantiate plea that he was roped in because of enmity - Conviction of accused proper. (Paras 7, 8)

<u>**बाबूलाल बाजपाई विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1538**</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–<u>Prevention of Corruption Act (2 of 1947)</u>**, S.5(1)(a)- Acceptance of bribe-Defence that complainant tried to thrust money in pocket of accused who resisted and had thrown the same on floor - Version of accused supported by independent witness - No motive for demanding or accepting bribe proved, as no bill of complainant contractor was pending with accused - Acquittal of accused by trial Court justified. (Para 6)**

<u>**जेठालाल अमरभाई खिमसुरिया विरूद्ध गुजरात राज्य, 2015 CRI. L. J. 3411**</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Prevention of Corruption Act (49 of 1988), S.7, S.13- Illegal gratification - Demand and acceptance - Proof - Accused officers of RTO allegedly trapped and charged for taking illegal gratification from truck drivers transporting salt on pretext of not taking legal actions - Anthrecene powder marks found on left hand of accused as per panch witness while as per panchnama such marks were found on right hand of accused - Stains of anthrecene powder were found in suit case as per panch witness while as per panchnama no stains were found either on outer side or inside suitcase - Decoy witness turned hostile - No examination of other independent witness by prosecution when money was allegedly handed over to accused - No other evidence to prove that accused made any demand - Demand, acceptance and recovery of illegal gratification not proved - Conviction of accused set aside.(Paras 6, 10, 11)**

104– फलतः उपरोक्त विवेचना एवं वर्णित न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य से इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है कि आरोपी द्वारा दिनांक–14.06.2016 या इसके पूर्व पटवारी हल्का नंबर 2 ग्राम महुडिया तहसील व जिला आगर में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए आवेदक अर्जुनसिंह गुर्जर व उसके भाईयों की कृषि भूमि के नामांतरण के लिए 35,000/– रूपये रिश्वत की मांग की एवं दिनांक–16.06.2016 को दिन के 3 बजे तहसीलदार आगर के कक्ष में आवेदक अर्जुन सिंह गुर्जर से 10,000/– रूपये प्राप्त कर धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त किया। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 व 02 का निष्कर्ष ''नहीं'' के रूप में दिया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक–03</u> :–

105– विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 एवं 02 की विवेचना व उनमें दिये गये निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः आरोपी रेखा माली को धारा–7 एवं धारा–13(1)डी सहपठित धारा–13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

106– आरोपी द्वारा धारा–437 (क) द.प्र.स. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत व मुचलके को छोडकर उसके द्वारा पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत किये गये जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

107– आरोपी का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

108– प्रकरण में जप्तशुदा राशि दस हजार रुपये आवेदक /शिकायकर्ता अर्जुन सिंह गुर्जर को अपील अवधि पश्चात् अन्यथा कोई आदेश न होने की दशा में वापस की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा घोल मय शीशी एवं अन्य सामान मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात अन्यथा कोई आदेश न होने की दशा में नष्ट किये जावे। जप्तशुदा एक सी.डी. एवं एक मेमोरी कार्ड अपील अवधि पश्चात अन्यथा कोई आदेश न होने की दशा में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन को वापस किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावे।

109– नियम एवं आदेश (दांडिक) के नियम 526 के अंतर्गत पक्षकारों के एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है कि, वे अपने प्रलेखों को तुरंत वापस मांगे अन्यथा अभिलेख के साथ नष्ट कर दिया जायेगा। उक्त आशय की सूचना (v–99) में तैयार की जाकर सूचना पटल में प्रदर्शित की जाये।

110– अभियोजन की ओर से अंतिम तर्क के प्रकम पर दिनांक–25.11.2019 को एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–344 दण्ड प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा–193 व 196 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया है कि प्रकरण में आवेदक/फरियादी अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) के कथन न्यायालय के समक्ष दिनांक–07.08.2018 व दिनांक–31.08.2018 को लेखबद्ध किये गये हैं। आवेदक अपने कथन के दौरान पक्षद्रोही रहा है। उसे पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न अभियोजन द्वारा पूछने पर भी उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जबकि अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) द्वारा ही स्वयं दिनांक–14.06.2016 को वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित व फोटो लगा प्रदर्श पी.–01 व प्रदर्श पी.

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु असमान्य)

–03 का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

111– अभियोजन की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा सभी कार्यवाहियों एवं ट्रेप कार्यवाही में स्वैच्छया भाग लिया गया। तत्पश्चात न्यायालय के समक्ष हुए कथन में उसके द्वारा आरोपी के साथ मिलकर उसे आरोपित अपराध के दण्ड से बचाने के उद्देश्य से शपथ पर मिथ्या साक्ष्य दी व गढ़ी गई है। संपूर्ण कार्यवाही के दौरान तैयार किये पंचनामों में सी.डी., मेमोरी कार्ड, नमूना पूड़ियों के लिफाफे, नमूना सील के कागज, घोल की शीशियां, घोल के लिफाफे, नोटों के नंबर की स्लिप आदि क्रमशः प्रदर्श पी.–01 लगायत प्रदर्श पी.–17 व आर्टिकल–ए लगायत आर्टिकल–क्यू पर उसके द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, फिर भी आवेदक द्वारा मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान अभिलेख के विपरीत आरोपी के साथ मिलकर उसे आरोपित अपराध के दण्ड से बचाने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष कथन देकर शपथ पर मिथ्या साक्ष्य दी व गढ़ी गई है। उक्त साक्ष्य के संबंध में अर्जुन सिंह को साक्ष्य के मिथ्या होने का ज्ञान व विश्वास रहा है तथा उसके द्वारा जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दी व गढ़ी गई है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–344 सहपठित धारा–193, 196 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।

112– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया, जिससे यह प्रकट होता है कि आवेदक अर्जुन सिंह द्वारा आरोपी रेखा माली के विरूद्ध दिनांक–14.06.2016 को पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के समक्ष प्रदर्श पी.–01 व प्रदर्श पी.–03 के आवेदन पत्र उसकी 23 बीघा कृषि भूमि के छः भाईयों के मध्य अलग–अलग नामान्तरण करवाने के लिए रिश्वत राशि की मांग किये जाने के संबंध में स्वयं के फोटो चस्पा कर प्रस्तुत किये गये थे। उक्त आवेदन पत्रों के आधार पर की गई संपूर्ण कार्यवाही के दौरान बनाये गये पंचनामों पर आवेदक द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये हैं, जबकि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान आवेदक अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसकी रिश्वत राशि की मांग के संबंध में रेखा माली से कोई बात नहीं हुई थी। आवेदक ने ही अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि उसने पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी व निरीक्षक दिनेश रावत को उक्त कार्यवाही के लिए रेखा माली द्वारा रूपये मांगने की बात बतायी थी। इस प्रकार प्रकरण में किये गये आवेदक के कथन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष साशय मिथ्या साक्ष्य दी गई व गढ़ी गई है।

113– आवेदक के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य दिये जाने व गढ़ी जाने के संबंध में कार्यवाही के लिए पृथक से जॉच किया जाना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय हैं :–

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/वैधानिक उपयोग हेतु अमान्य))

<u>प्रितीश विरूद्ध महाराष्ट्र, AIR 2002 SUPREME COURT 236</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–**Criminal P.C. (2 of 1974), S.340- Land Acquisition Act (1 of 1894), S.18, S.23- Offence affecting administration of justice by using forged documents - Preliminary inquiry before filing complaint - Opportunity of hearing to would be accused, is not required to be given - Reference Court ordering prosecution against claimants/Land owners for wangling big amount of compensation by producing forged sale deeds - Court is under no obligation to afford an opportunity of hearing to claimants/land owners before filing complaint before Magistrate for initiating prosecution proceedings.**

114– <u>प्रेम सागर मनोचा विरूद्ध स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) 2016 CRI. L. J. 1090</u> के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– **Penal Code (45 of 1860), S.193- Criminal P.C. (2 of 1974), S.340- Perjury - Complaint as to - Maintainability - Expression 'shall' substituted by 'may' in S. 340, Criminal P.C. 1973 - Means that it is not mandatory for court to record finding, after preliminary enquiry, regarding commission of offence of perjury - Hub of this provision is only formation of an opinion as to whether offence should be duly inquired into.**

Section 340 of Cr. P. C. prior to amendment in 1973, was Section 479-A in the 1898 Code and it was mandatory under the pre-amended provision to record a finding after the preliminary inquiry regarding the commission of offence; whereas in the 1973 Code, the expression 'shall' has been substituted by 'may' meaning thereby that under 1973 Code, it is not mandatory that the court should record a finding, What is now required is only recording the finding of the preliminary inquiry which is meant only to form an opinion of the court, and that too, opinion on an offence 'which appears to have been committed', as to whether the same should be duly inquired into. Therefore, order directing filing of complaint u/S. 340 of Code is not liable to be quashed on the only ground that there is no finding recorded by the court on the commission of the offence.

115– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह (अ.सा.–01) द्वारा भा.द.स. की धारा–193/196 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना दर्शित होता है। अतः आवेदक के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–340 (1)(ख) के अंतर्गत परिवाद अनुमति सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाना न्यायहित में समीचीन होगा। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र

आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक अर्जुन सिंह के विरूद्ध उक्त अनुसार परिवाद पत्र प्रेषित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित

(मनोज कुमार शर्मा)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988
शाजापुर (म0प्र0)

(मनोज कुमार शर्मा)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988
शाजापुर (म0प्र0)

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SHARMA
Date: 2019.12.16
18:05:46 +05'30'

(सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि, (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)